छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

विज्ञापन क्रमांक 11/2023/परीक्षा/दिनांक 26/11/2023 प्रकाशन की तिथिः 29/11/2023

:: विज्ञापन ::

राज्य सेवा परीक्षा - 2023

प्रारंभिक परीक्षा की तिथि 11/02/2024 पूर्वान्ह 10:00 बजे से मध्यान्ह 12:00 बजे तथा अपरान्ह 3:00 बजे से अपरान्ह 5:00 बजे तक

मुख्य परीक्षा की संभावित तिथि 13,14,15 एवं 16 जून 2024

प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 01/12/2023 मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 30/12/2023 रात्रि 11:59 बजे तक

महत्वपूर्ण

1. **राज्य सेवा परीक्षा–2023 हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन एवं निर्धारित तिथि तक ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार के मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।**
2. परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने के पूर्व स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को ही आवेदन करना चाहिए। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनंतिम होगा चाहे वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। अभ्यर्थी को प्रवेश–पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसकी अभ्यर्थिता आयोग द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है। लिखित परीक्षा/साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी के चिन्हांकन के बाद ही आयोग पात्रता शर्तों की जाँच करता है।
3. उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क व पोर्टल शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक के ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किये जाएंगे।
4. **राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा–2023** के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक **01/12/2023** को मध्यान्ह 12:00 बजे से **दिनांक 30/12/2023** रात्रि 11:59 बजे तक www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से किए जा सकेंगे।
5. ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक **31/12/2023** मध्यान्ह 12:00 बजे से **दिनांक 01/01/2024** रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार निःशुल्क होगा।
6. ऑनलाईन आवेदन में सशुल्क त्रुटिसुधार का कार्य निःशुल्क त्रुटिसुधार करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक **02/01/2024 को मध्यान्ह 12:00 बजे से 03/01/2024 रात्रि 11:59** बजे तक किया जा सकेगा। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार हेतु रू. 500/– (रूपये पांच सौ) शुल्क लिया जाएगा। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। **(देखे विज्ञापन कंडिका 19)**
7. वर्ग (केटेगरी) सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रुप में भरे गये अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तथा मूल निवास में **"नहीं"** का विकल्प दिया जाता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान करना होगा, किन्तु पूर्व में छत्तीसगढ़ का मूल निवास विकल्प में नहीं दर्शित करने वाले अभ्यर्थियों के मामले में मूल निवास में **"हां"** के रूप में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
8. सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात प्राप्त अभ्यावेदन को स्वमेव निरस्त माना जावेगा, इस संबंध में विस्तृत सूचना दिनांक 03.07.2023 को जारी की गई थी, जो आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है।
9. राज्य सेवा परीक्षा नियम में जिन प्रक्रियाओं/विषयों का उल्लेख नहीं है, उन प्रक्रियाओं या विषयों पर **छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग प्रक्रिया नियम 2014** (यथा संशोधित) के प्रावधान लागू होंगे।

(1) छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, रायपुर द्वारा प्रकाशित राज्य सेवा परीक्षा नियम–2008 (यथा संशोधित) एवं शासन द्वारा समय–समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं/परिपत्रों के अधीन राज्य सेवा परीक्षा नियम–2008 (जिसे एतद् पश्चात् परीक्षा नियम–2008 कहा जायेगा) के नियम–1 में उल्लेखित सेवाओं/पदों में से निम्नलिखित सेवाओं/पदों पर भर्ती के लिये छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक **11 फरवरी 2024** को आयोजित की जाने वाली **"प्रारंभिक परीक्षा"** के लिये ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

(2) राज्य सेवा परीक्षा नियम–2008 के **परिशिष्ट–एक** में परीक्षा योजना, **परिशिष्ट–दो** में प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम व **परिशिष्ट–तीन** में मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम की जानकारी संलग्न है। **परिशिष्ट–चार** में ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी उल्लेखित है। **परिशिष्ट–पांच, छः, सात एवं आठ** में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों द्वारा सह–लेखक की सुविधा प्राप्त करने की स्थिति में प्रयुक्त होने वाले आवश्यक प्रपत्र (प्रपत्र–एक, प्रपत्र–दो, प्रपत्र–तीन व प्रपत्र–चार) संलग्न है। ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व अभ्यर्थी स्वयं परीक्षा नियम–2008 एवं अन्य निर्देशों एवं विज्ञापन की शर्तों को पढ़ कर सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा के किसी भी चरण (Stage) में अथवा प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा के परीक्षाफल घोषित होने के बाद भी अनर्ह पाया जाता है अथवा उनके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण/गलत पायी जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता/चयन आयोग द्वारा निरस्त किया जा सकेगा एवं आयोग द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा बंधनकारी होगा।

क्रमशः

(3) सेवाओं/पदों का विवरणः–

स.क्र.	पद तथा विभाग का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से छ.ग. भूतपूर्व सैनिकों के लिए वर्गवार आरक्षित पद				कुल रिक्तियों में से छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पद	योग	वेतन मैट्रिक्स
		अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिलाध्यक्ष सामान्य प्रशासन विभाग	3	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	01 (OAL,B)	8	56100 (स्तर–12)
2	छ.ग.राज्य वित्त सेवा अधिकारी वित्त विभाग	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01 (OA,OL,OAL,BL,HH)	6	56100 (स्तर–12)
3	खाद्य अधिकारी/सहायक संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	56100 (स्तर–12)
4	जिला आबकारी अधिकारी वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग	4	2	4	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	11	56100 (स्तर–12)
5	सहायक संचालक/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01 (OA)	6	56100 (स्तर–12)
6	जिला पंजीयक वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	56100 (स्तर–12)
7	राज्य कर सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01 (BL,OA,OL,OAL)	6	56100 (स्तर–12)
	बैकलॉग	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-			
8	अधीक्षक जिला जेल जेल विभाग	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	56100 (स्तर–12)
9	सहायक संचालक आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	4	1	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	10	56100 (स्तर–12)
10	सहायक पंजीयक सहकारिता विभाग	5	2	4	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	14	56100 (स्तर–12)
	बैकलॉग	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
11	जिला सेनानी गृह विभाग	5	2	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	11	56100 (स्तर–12)
12	मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जनपद पंचायत) आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	4	1	4	1	1	-	1	-	-	-	-	-	01 (OL,HH,OA,BL,LV,B)	10	38100 (स्तर–9)
13	बाल विकास परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग	3	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	01 (OAL)	7	38100 (स्तर–9)
14	छ.ग. अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी वित्त विभाग	8	3	6	3	2	-	1	-	-	-	-	-	03 (OAL,BL,HH)	23	38100 (स्तर–9)
	बैकलॉग	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
15	नायब तहसीलदार राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग	17	5	13	6	4	1	3	1	1	-	1	-	02 (OA,OL,BL,OAL, B,LV,HH) 01 UR (DH)	42	35400 (स्तर–8)
	कैरिफार्वर्ड भूतपूर्व सैनिक	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-			
16	राज्य कर निरीक्षक वाणिज्यिक कर विभाग	12	3	9	4	3	-	2	1	1	-	-	-	-	34	28700 (स्तर–7)
	बैकलॉग	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
17	सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी सहकारिता विभाग	16	5	13	5	4	1	3	1	1	-	1	-	01 (HH) 01 (OA,OL,OAL,) 02 ST (HH) 01 SC (OA,OL,OAL)	44	28700 (स्तर–7)
	बैकलॉग	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	कुल योग :–	94	35	83	30										242	

Abbreviation Used: OA-One Arm, OL-One Leg, BL-Both Leg, HH-Hearing Handicapped, B-Blind, OAL-One Arm and One Leg, LV-Low Vision, DH-Deaf and Hard of Hearing

उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए की जाने वाली चयन प्रक्रियाएं माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होंगी।

संबंधित विभाग से संशोधित रिक्तियां प्राप्त होने पर, रिक्तियों की अंतिम संख्या में परिवर्तन आ सकता है।

राज्य शासन द्वारा निर्धारित रीति से, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी श्रेणियों तथा बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों, महिला तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों के आरक्षण के अनुसार चिन्हांकन/चयन की कार्यवाही की जाएगी।

महत्वपूर्ण टीपः–

(i) ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक सेवा संवर्ग एवं पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।

(ii) यह विज्ञापन संबंधित विभागों के मांग–पत्र में उल्लेखित पदों की संख्या के अनुरुप प्रकाशित किया जा रहा है।

(iii) छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासी निःशक्तजन ही मान्य होंगे। प्रारंभिक परीक्षा परिणाम जारी करने की तिथि को लागू आरक्षण का लाभ छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को प्राप्त होगा तथा सभी प्रकार की आयु में छूट (विधवा, महिला, अनु.जाति, अनु.जन. जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्तजन, भूतपूर्व सैनिक) स्थानीय निवासियों को प्राप्त होगी। किन्तु अन्य राज्य के निवासी जो छत्तीसगढ़ राज्य में संविदा पर कार्यरत है, उन्हें भी आयु सीमा में संविदा आधार पर कार्य **वर्षों के लिए नियमानुसार छूट प्राप्त होगी।** देखे विज्ञापन की कंडिका 8.2 (A)

(iv) **प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हता अंक प्रत्येक प्रश्न–पत्र में अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक तथा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 23 प्रतिशत अंक प्राप्त**

क्रमशः

करना अनिवार्य होगा।

(v) अत्यंत महत्वपूर्ण :-

अभ्यर्थी विज्ञापन में दिए गए निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ने के बाद ही ऑनलाइन आवेदन करें।

(4) (i) छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर (अन्य प्रदेश) के निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो अपने राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हो, अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये विज्ञापित पदों के विरूद्ध ही अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के समान विचारित किये जायेंगे, आरक्षित पदों के विरूद्ध नहीं। ऐसे अभ्यर्थियों को वर्ग के रूप में अनारक्षित वर्ग का ही चयन करना होगा।

(ii) अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ केवल गैर क्रीमीलेयर होने पर देय है। जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रीमीलेयर के अंतर्गत मान्य किए जाने हेतु आवेदन करने की तिथि से पिछले 03 वर्ष के भीतर जारी किया हुआ आय प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पास होना चाहिए।

शासकीय सेवकों के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही की जाएगी जिस हेतु अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन के समय अपने माता व पिता का सेवा में प्रथम नियुक्ति तथा पदोन्नती संबंधी समस्त आदेशों की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

जिन अभ्यर्थियों के पिता की मृत्यु हो गई है उन्हें माता के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र तथा माता एवं पिता दोनों की मृत्यु हो गई है तो स्वयं अथवा अभिभावक के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हुए माता–पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

जिन अभ्यर्थियों के माता –पिता का तलाक हो चुका है उन्हें माता–पिता का तलाकनामा अथवा बिना तलाक के कई वर्षो से विलग हैं तो उस स्थिति में उन्हें माता–पिता विलग होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

विवाहित महिला अभ्यर्थी को अपने पिता के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(5) (A) प्रारंभिक परीक्षा के केन्द्र :-

कोड	परीक्षा केन्द्र का स्थान (परीक्षा शहर)
01	अंबिकापुर
02	बैकुण्ठपुर
03	बिलासपुर
04	धमतरी
05	दुर्ग–भिलाई
06	दंतेवाड़ा
07	जगदलपुर
08	जांजगीर–चांपा
09	जशपुर
10	कवर्धा
11	कांकेर
12	कोरबा
13	महासमुन्द
14	रायपुर
15	रायगढ़
16	राजनांदगांव
17	बलौदा बाजार
18	बलरामपुर
19	सूरजपुर
20	गरियाबंद
21	नारायणपुर
22	कोण्डागांव
23	बीजापुर
24	सुकमा
25	बेमेतरा
26	बालोद
27	गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही
28	मुंगेली

(B) मुख्य परीक्षा के केन्द्र :-

कोड	परीक्षा केन्द्र का स्थान (परीक्षा शहर)
01	अम्बिकापुर
02	बिलासपुर
03	दुर्ग–भिलाई
04	जगदलपुर
05	रायपुर

टीपः– (i) आयोग द्वारा प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र आबंटित किया जाएगा एवं परीक्षा केन्द्र परिवर्तन हेतु अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। आयोग अभ्यर्थी द्वारा मांगा गया परीक्षा केन्द्र आबंटित करने का प्रयास करेगा परंतु प्रशासनिक व व्यवस्थागत कारणों से ऐसा संभव न हो तो अभ्यर्थी को अन्य परीक्षा केन्द्र/परीक्षा शहर आबंटित कर सकेगा। प्रत्येक परीक्षा शहर हेतु बैठक क्षमता पूर्व निर्धारित है। परीक्षा शहर की बैठक क्षमता के बराबर संख्या में अभ्यर्थियों द्वारा उक्त परीक्षा शहर का चयन कर लिए जाने पर वह परीक्षा शहर चयन हेतु उपलब्ध नहीं रहेगा। इस संबंध में आयोग द्वारा किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(ii) आयोग निर्धारित परीक्षा केन्द्रों/शहर में कमी या वृद्धि भी कर सकता है।

(6) मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन :-

प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के आधार पर जो अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिये पात्र होंगे, उन्हें मुख्य परीक्षा हेतु पुनः, निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा अन्यथा उनकी अभ्यर्थिता निरस्त की जावेगी।

(7) न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :-

अभ्यर्थी के पास भारत में केन्द्रीय या राज्य विधान मंडलों के अधिनियम द्वारा निगमित/समाविष्ट विश्वविद्यालयों में से किसी विश्वविद्यालय की या संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय मानी गई किसी शैक्षणिक संस्था की उपाधि (डिग्री) होनी चाहिये अथवा उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिये।**

टीपः– (i) ऐसे अभ्यर्थी जो ऐसी किसी परीक्षा में बैठे हों या बैठेंगे जिसमें उत्तीर्ण होने से वे आयोग की इस परीक्षा के लिए शैक्षणिक रूप से अर्ह हो जायेंगे किन्तु जिन्हें परिणाम की जानकारी नहीं हुई है तथा ऐसे अभ्यर्थी जो ऐसी अर्हकारी परीक्षा में बैठना चाहते हों वे भी प्रारंभिक परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे। ऐसे समस्त अभ्यर्थियों के लिए जो आयोग द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के लिए अर्ह घोषित किए गए हो उन्हें मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को अथवा उसके पूर्व उक्त अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी तथा दस्तावेज सत्यापन के समय इस संदर्भ में वैध प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

(ii) ऐसे अभ्यर्थी भी जिनके पास ऐसी व्यवसायिक तथा तकनीकी अर्हताएं हो जो राज्य शासन द्वारा व्यवसायिक तथा तकनीकी उपाधि के समकक्ष रूप में मान्यता प्राप्त हो, परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे।

(7.1) परिवीक्षा अवधि :– चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति **03 वर्ष** की परिवीक्षा पर की जाएगी।

(8) आयु की गणना हेतु निर्धारित तिथि :-

अभ्यर्थियों के **राज्य सेवा परीक्षा–2023** के लिये न्यूनतम एवं अधिकतम आयु (जिसमें इसके आगे किये गये उल्लेख अनुसार आयु सीमा में **छूट भी शामिल है) की गणना दिनांक 01.01.2023** के संदर्भ (Reference) में की जायेगी, अतएव अभ्यर्थी, आवेदन करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वे उक्त तिथि के संदर्भ में परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निर्धारित न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा के अंतर्गत है।

आयु सीमा एवं आयु सीमा में छूटें :-

(8.1) राज्य आरक्षी सेवा के उप पुलिस अधीक्षक के पदों के अभ्यर्थियों के लिये आयु सीमा, आयु सीमा में छूटें और शारीरिक मानक निम्नानुसार होगाः-

(A) आयु सीमा – छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–3–2/2002/1/3 दिनांक 15.06.2010 के कंडिका–4 एवं छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2005 के अनुसार **उप पुलिस अधीक्षक हेतु आयु सीमा 21 से 28 वर्ष निर्धारित की गई है।**

(B) आयु सीमा में छूटें :-

(i) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा अधिकतम पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ii) कोई अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने की अनुज्ञा दी जाएगी बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु हो, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

(iii) छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी शासकीय सेवकों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगम/मंडल के कर्मचारियों की अधिकतम आयु 33 वर्ष से अधिक नहीं

क्रमशः

होनी चाहिए। यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, कार्यभारित कर्मचारी, परियोजना कार्यान्वयन समिति के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारी को भी अनुज्ञेय होगी।

(iv) कोई अभ्यर्थी जो छटनी किया हुआ सरकारी सेवक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थाई सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह एक से अधिक बार की गई सेवा हो, कम करने की अनुज्ञा दी जायेगी, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु हो वह उच्चतर आयु सीमा से **तीन वर्ष** से अधिक न हो।

स्पष्टीकरणः– शब्द "छटनी किया गया शासकीय सेवक" से द्योतक है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की अथवा किन्हीं भी संघटक इकाईयों की शासकीय सेवा में निरंतर कम से कम छह मास की कालावधि तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया हो।

(v) स्वयंसेवी होमगार्ड के मामले में उच्चतर आयु सीमा उनके द्वारा की गई सेवा की कालावधि के लिये 8 वर्ष की सीमा के अध्याधीन रहते हुए शिथिल की जाएगी किन्तु किसी भी मामले में उनकी आयु 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

(vi) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3–1/2016/1–3 नया रायपुर, दिनांक 11.01.2017 के अनुसार केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए उच्चतर आयु में 10 वर्ष की छूट होगी।

(vii) छत्तीसगढ़ के विधवा–परित्यक्ता महिला अभ्यर्थियों को 05 वर्ष की छूट प्राप्त होगी।

(viii) छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दम्पत्ति के सवर्ण पार्टनर के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा 05 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ix) राज्य में प्रचलित शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को सामान्य अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(C) उप पुलिस अधीक्षक के लिये शारीरिक मापदंड :–

(i) **ऊँचाई** – 168 सेंटीमीटर या उससे अधिक : (पुरूष अभ्यर्थियों के लिए) 155 सेंटीमीटर या उससे अधिक (महिला अभ्यर्थियों के लिये)।

(ii) **सीना** – बिना फुलाए 84 सेंटीमीटर, फुलाने पर 89 सेंटीमीटर, अभ्यर्थी के बगैर फुलाए हुए और फुलाए हुए सीने के बीच कम से कम 5 सेंटीमीटर का अन्तर होना चाहिए, इस मामले में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। महिला अभ्यर्थियों के मामले में सीने का माप अपेक्षित नहीं है।

(iii) अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से **निःशक्त नहीं** होना चाहिए।

(iv) अभ्यर्थी चिकित्सीय दृष्टि से योग्य (Medically Fit) होना चाहिये और दृष्टि जाँच (Vision Test) में अल्पदृष्टि नहीं होनी चाहिए। उसकी समस्त रंगों के प्रति स्पष्ट दृष्टि होनी चाहिए। उसे शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम नहीं होना चाहिए।

(v) यदि अभ्यर्थी उप पुलिस अधीक्षक के पद के लिये उपरोक्तानुसार निर्धारित शारीरिक मापदंड पूर्ण नहीं करते तो वे उक्त पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, अतएव अभ्यर्थी उक्त पद के लिये अपना विकल्प देते समय स्वयं यह सुनिश्चित कर लें कि वे निर्धारित शारीरिक मापदंड पूर्ण करते हैं। इस हेतु जो अभ्यर्थी उक्त पद के लिये अपना विकल्प देते हैं, उनसे मुख्य परीक्षा के परीक्षा परिणाम के आधार पर साक्षात्कार के पूर्व शपथ पत्र लिया जायेगा एवं तत्पश्चात् उनके द्वारा दिया गया कोई भी अभ्यावेदन विचारणीय नहीं होगा।

(8.2) उप पुलिस अधीक्षक के अतिरिक्त अन्य पदों के लिये निर्धारित आयु सीमा निम्नानुसार है :–

(A) **आयु सीमा**–छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ **3–2/2002/1–3 रायपुर दिनांक 15.06.2010 एवं परिपत्र क्रमांक एफ 3–2/2015/1–3 नया रायपुर, दिनांक 30.01.2019 के अनुसार निम्नानुसार आयु सीमा होगीः–**

(i) अभ्यर्थी की **आयु 21 वर्ष पूर्ण कर ली हो किन्तु 30 वर्ष** से अधिक न हो, परन्तु छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3–2/2002/1–3 रायपुर दिनांक 15.06.2010 में दिए गए निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय/मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित है, किन्तु परिपत्र क्रमांक एफ 3–2/2015/1–3 नया रायपुर, दिनांक 30.01.2019 में दिए गए निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट होगी।

(ii) उपरोक्त आयु सीमा के प्रावधान गृह (पुलिस) विभाग के (अधिकारी/कर्मचारियों) के लिये लागू नहीं रहेंगे। गृह (पुलिस) विभाग में सीधी भर्ती के पदों हेतु गृह (पुलिस) विभाग के भर्ती नियमों में जो आयु सीमा संबंधित व्यवस्थानिर्धारित/प्रावधानित है उसी अनुरूप आयु सीमा सीधी भर्ती के लिये लागू रहेगी।

(iii) छत्तीसगढ़ के अन्य विशेष वर्ग जैसे–अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, निःशक्तजन आदि के लिये अधिकतम आयु सीमा में जो छूट है, वे छूट लागू रहेगी **किन्तु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।**

(iv) छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी शासकीय सेवकों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगम/मंडल के कर्मचारियों की अधिकतम आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, कार्यभारित कर्मचारी, परियोजना कार्यान्वयन समिति के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारी को भी अनुज्ञेय होगी। **परन्तु यह कि छत्तीसगढ़ के आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्तजन एवं महिला/विधवा/परित्यक्ता वर्ग, आदि के आवेदकों को उनके वर्ग की मिलने वाली आयु में छूट यथावत मिलती रहेगी। परन्तु यह और भी कि इस छूट के बाद अधिकतम आयु किसी भी परिस्थितियों में 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।**

(v) छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3–2/2002/1–3 रायपुर दिनांक 30.01.2012 के अनुसार संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष उसने संविदा के रुप में सेवा की है। **यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी।**

(B) आयु सीमा में छूटें :–

(i) राज्य सेवा परीक्षा नियम–2008 (यथा संशोधित) के नियम–5 (ग) (आ) में उल्लेखित क्रमांक (एक) से (सत्रह) तक की छूटें अभ्यर्थी को दी जायेगी। अन्य विशेष वर्गो के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय सभी छूट यथावत् रहेंगी, किन्तु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(ii) छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 20–4/2014/आ.प्र./1–3 नया रायपुर दिनांक 27.09.2014 एवं 17.11.2014 के अनुसार निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(iii) अन्य पदों के लिए शारीरिक मापदंड राज्य सेवा परीक्षा नियम के नियम–9 एवं संबंधित विभाग के भर्ती नियमों में उल्लेखित है।

शारीरिक मापदण्डः–

स.क्र.	पद का नाम	ऊंचाई		सीना (केवल पुरुष)		
		पुरुष	महिला	बिना फुलाए	फुलाने पर	न्यूनतम अंतर
1	2	3	4	5	6	7
1	उप अधीक्षक पुलिस	168 से.मी.	155 से.मी.	84 से.मी.	89 से.मी.	5 से.मी.
2	जिला आबकारी अधिकारी	163 से.मी.	152.4 से.मी.	79 से.मी.	84 से.मी.	5 से.मी.
3	सहायक जेल अधीक्षक	1.65 मी.	1.55 मी.	0.80 मी.	–	–
4	जिला सेनानी	168 से.मी.	155 से.मी.	84 से.मी.	89 से.मी.	5 से.मी.
5	अधीक्षक जिला जेल	168 से.मी.	155 से.मी.	84 से.मी.	89 से.मी.	5 से.मी.
6	आबकारी उप निरीक्षक	165 से.मी.	152.4 से.मी.	81 से.मी.	86 से.मी.	5 से.मी.

टीपः– उपरोक्त तालिका के पदों हेतु अभ्यर्थी को चिकित्सीय दृष्टि से योग्य (Medically Fit) होना चाहिये और दृष्टि जाँच (Vision Test) में अल्पदृष्टि नहीं होनी चाहिए। उसकी समस्त रंगों के प्रति स्पष्ट दृष्टि होनी चाहिए। उसे शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम नहीं होना चाहिए।

(9) नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण–पत्र :–

(i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग/निगम/मंडल/उपक्रम में कार्यरत हों अथवा भारत सरकार अथवा उनके किसी उपक्रम की सेवा में कार्यरत हों या राष्ट्रीयकृत/अराष्ट्रीयकृत बैंक, निजी संस्थाओं एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत हों तो वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, परन्तु ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अथवा इसके तुरंत पश्चात् उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख को "अनापत्ति प्रमाण–पत्र" सीधे आयोग को भेजने के लिए निवेदन करते हुए आवेदन कर पावती प्राप्त करते हुए इसे सुरक्षित रखना चाहिए।

क्रमशः

(ii) यदि ऐसे अभ्यर्थी को आयोग द्वारा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है, तो उन्हें साक्षात्कार के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख को अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु प्रस्तुत आवेदन की प्रति एवं उक्त आवेदन की नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख द्वारा दी गई अभिस्वीकृति (जिसमें आवेदन प्राप्ति की तिथि भी अंकित हो) प्रस्तुत करना होगा।

(iii) यदि अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करने में असफल रहते हों, तो ऐसी स्थिति में उनका साक्षात्कार तो लिया जाएगा, परन्तु साक्षात्कार पश्चात् चयन की स्थिति में उन्हें संबंधित संस्था द्वारा भारमुक्त न किये जाने आदि के फलस्वरूप उनकी नियुक्ति निरस्त किये जाने की स्थिति बनती है तो इसके लिए आयोग/शासन के संबंधित विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा इस संबंध में ऐसे अभ्यर्थी का कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(10) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों के लिये विज्ञापन में दी गई विभिन्न छूट **केवल छत्तीसगढ़ के मूल/स्थानीय निवासी तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित** अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्य अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के लिये ही लागू होगी। **अन्य प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी का माना जावेगा।**

टीपः– समस्त आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को स्पष्ट रूप से सूचित किया जाता है कि वे **सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण–पत्र** बनाकर तैयार रखें। मुख्य परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन में यथास्थान सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र का स्पष्ट उल्लेख कर प्रमाण पत्र का क्रमांक, दिनांक, जारीकर्ता का पदनाम एवं अन्य जानकारी का स्पष्ट उल्लेख करें। निर्धारित स्थान पर संबंधित प्रमाण पत्र का स्पष्ट उल्लेख नहीं किए जाने की अवस्था में अभ्यर्थी को आयोग द्वारा छूट देना संभव नहीं होगा तथा ऐसे अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जा सकेगा।

(11) अन्य निर्देश/जानकारी

(i) प्रारंभिक परीक्षा में अभ्यर्थी का प्रवेश पूर्णतः प्रावधिक है क्योंकि आयोग ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ कोई भी प्रमाण पत्र यथा शैक्षणिक योग्यता/जन्मतिथि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग/मूल निवासी प्रमाण पत्र/निःशक्तजन/विधवा/परित्यक्तता/तलाकशुदा/भूतपूर्व सैनिक आदि होने का प्रमाण पत्र इत्यादि प्राप्त नहीं करता है। **समस्त प्रमाण पत्र मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों द्वारा साक्षात्कार के पूर्व, अनुप्रमाणन फार्म के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।** जिसके परीक्षण उपरांत अभ्यर्थी की अर्हता (Eligibility) की जांच की जाएगी।

(ii) प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा के लिए केवल अनुवीक्षण (Screening) परीक्षा होती है। अभ्यर्थियों के अंतिम चयन में इस परीक्षा के प्राप्तांकों को नहीं जोड़ा जाएगा।

(iii) आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा संबंधी अंतिम चयन सूची जारी किए जाने के पश्चात् प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा तथा अंतिम चयन परिणाम की जानकारी अभ्यर्थियों के ऑनलाईन एकाउन्ट में उपलब्ध करवाई जाएगी।

राज्य सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा के परिणाम के साथ ही उक्त परीक्षा के विज्ञापित वर्ग एवं उपवर्ग वार, कट–ऑफ अंक जारी किए जाएंगे।

(iv) परीक्षा के समय परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष के अनुशासनिक या प्रशासनिक नियंत्रण में रहेंगे। अनुचित साधन का उपयोग करना या करने का प्रयास करना, दी गई उत्तरपुस्तिका एवं प्रश्न–पत्र को क्षति पहुंचाना, निरीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/अधिकारियों के निर्देश की अवमानना करना, दुर्व्यवहार, अपशब्दों का उपयोग, अशिष्ट आचरण, धमकी देना, शारीरिक क्षति पहुंचाना आदि को दण्डनीय माना जायेगा।

(v) आयोग की परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है और इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

(vi) परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन या अन्य संचारी यंत्र वर्जित है।

(ix) पहचान चिन्ह :–

प्रश्न–सह–उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं पर भी कोई नाम, किसी शहर, कस्बे, ग्राम, स्थान का नाम या पता, अनुक्रमांक, कोई धार्मिक चिन्ह, कोई पहचान चिन्ह या उत्तर के अतिरिक्त अन्य कोई अक्षर, शब्द, वाक्य या कोई धार्मिक शब्द/वाक्य नहीं लिखा जाना चाहिए। उत्तर पुस्तिका में नीले व काले बॉल पॉइण्ट पेन के अतिरिक्त अन्य किसी भी रंग अथवा किसी प्रकार के पेन जैसे स्केच पेन, हाइलाइटर, ग्लीटर पेन.........इत्यादि का प्रयोग न करें। ऐसा करने पर जॉचकर्ता द्वारा संबंधित अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किए जाने की अनुशंसा की जा सकती है। उक्त संदर्भ में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। **टीप–यदि किसी प्रश्न के उत्तर में कहीं पर भी नाम लिखने की आवश्यकता हो तो अ,ब,स (A,B,C) लिखे तथा यदि कहीं शहर, कस्बे, ग्राम या स्थान का नाम लिखने की आवश्यकता हो तो क,ख,ग (X,Y,Z) लिखे, जो पहचान चिन्ह के श्रेणी में नहीं आएंगे।**

(12) यदि आवश्यक हुआ तो विज्ञापन के संबंध में सूचनायें आयोग द्वारा "रोजगार और नियोजन" अथवा दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कर अथवा आयोग की वेब–साईट में यथा समय दी जावेगी।

(13) अत्यन्त महत्वपूर्ण :–

(i) छत्तीसगढ़ निःशक्तजन/छत्तीसगढ भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अभ्यर्थी, ऑनलाइन आवेदन पत्र में यथास्थान स्पष्ट उल्लेख कर प्रमाण पत्र का क्रमांक, दिनांक, जारीकर्ता का पदनाम एवं अन्य जानकारी का स्पष्ट उल्लेख करें।

(ii) आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 तथा भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के पत्र क्रमांक F.No. 29-6/2019-DD-III Dated 10/08/2022 के अनुसार अभ्यर्थी को प्रपत्र–1 एवं प्रपत्र–2 पर दिए गए प्रपत्र के अनुसार किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर कि संबंधित उम्मीदवार लिखने में शारीरिक रूप से अक्षम है तथा उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए सह लेखक की सेवाएं लेना अपरिहार्य है, सह लेखक के उपयोग की अनुमति दी जा सकेगी। अभ्यर्थी स्वयं नियमानुसार सह लेखक की व्यवस्था कर सकते है अथवा जिला/संभाग कार्यालय से सहलेखक उपलब्ध कराने हेतु निवेदन कर सकते है।

(iii) स्वयं के अथवा जिला/संभाग कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए सह लेखक की योग्यता परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता मापदंड से कम होनी चाहिए तथापि सह लेखक की योग्यता सदैव मैट्रिक अथवा इससे अधिक होनी चाहिए। अपना सह लेखक लाने या जिला/संभाग कार्यालय को इसके लिए अनुरोध करने संबंधी विवेकाधिकार उम्मीदवार का है। परीक्षा में सह लेखक की सुविधा लेने वाले अभ्यर्थी जो जिला/संभाग कार्यालय से सह लेखक प्राप्त करना चाहते हो अथवा स्वयं सह लेखक लाना चाहते हो तो उन्हें ऑनलाइन आवेदन के समय विज्ञापन के परिशिष्ट–पांच, छः, सात व आठ के अनुसार उपलब्ध प्रपत्र–1, प्रपत्र–2, प्रपत्र–3 एवं प्रपत्र–4 प्राप्त कर, प्रपत्र–1 में सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर, प्रपत्र–2 व प्रपत्र–3 में परिक्षार्थी के हस्ताक्षर, प्रपत्र–4 में सहलेखक के हस्ताक्षर प्राप्त कर जिला/संभाग कार्यालय से सहलेखक प्राप्त करने अथवा स्वयं अपने सह लेखक को परीक्षा दिवस के दिन अपने साथ ले जाने हेतु संबंधित जिला या संभाग कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे अन्यथा अभ्यर्थी सहलेखक के सुविधा का उपयोग नहीं कर सकेंगे। स्वयं सहलेखक की व्यवस्था करने अथवा जिला/संभाग कार्यालय से सहलेखक की सुविधा लेने, दोनो हीं स्थितियों में प्रपत्र 01, 02, 03 व 04 पूर्ण रूप से भरकर एवं संबंधित द्वारा हस्ताक्षरित कराकर संबंधित जिला/संभाग कार्यालय में प्रस्तुत कर, सहलेखक संबंधी अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा परीक्षा दिवस के दिन अभ्यर्थी सहलेखक की सुविधा का उपयोग नही कर सकेंगे।

(iv) नेत्रहीनता, दोनों बाजुओं से प्रभावित और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात श्रेणियों के अंतर्गत बैंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों को परीक्षा के प्रत्येक घंटे हेतु 20 मिनट प्रतिपूरक समय प्रदान किया जाएगा। परिशिष्ट पांच से आठ तक उपलब्ध प्रपत्र–1, प्रपत्र–2, प्रपत्र–3 एवं प्रपत्र–4 के अनुसार किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किए जाने पर कि संबंधित उम्मीदवार लिखने में शारीरिक रूप से अक्षम है, यह सुविधा प्रदान की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों को सहलेखक की सुविधा दी जाती है उन अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वे इस संबंध में सभी औपचारिकताओं की पूर्ति हेतु प्रवेश पत्र जारी होने के पश्चात परीक्षा तिथि के 05 दिन पूर्व आयोग द्वारा अधिकृत संबंधित जिला/संभाग कार्यालय से ऑनलाइन आवेदन के पश्चात डाउनलोड किए गए प्रपत्र–1, प्रपत्र–2, प्रपत्र–3 एवं प्रपत्र–4 को भरकर तथा संबंधित के हस्ताक्षर प्राप्त कर संपर्क करें। जिला/संभाग कार्यालय द्वारा परीक्षा केन्द्राध्यक्ष के नाम से जारी पत्र जिसमें अभ्यर्थी को परीक्षा में सहलेखक के उपयोग की अनुमति सहलेखक के विवरण के साथ दी जाएगी।

(v) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थानीय निवासी भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो पद आरक्षित किए गए हैं वे पद ऐसे अभ्यर्थी जो स्वयं भूतपूर्व सैनिक हो (भूतपूर्व सैनिक पर आश्रित अभ्यर्थी मान्य नहीं होंगे) तथा जिन्होंने पूर्व में किसी शासकीय सेवा में नियोजन हेतु भूतपूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ न लिया हो के लिए आरक्षित होंगे। ऐसे भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिए साक्षात्कार पूर्व दस्तावेज सत्यापन के समय भूतवूर्व सैनिक के डिस्चार्ज सर्टिफिकेट (सक्षम

क्रमशः

अधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में) अभिवचन पत्र तथा मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। अभिवचन का नमूना निम्नानुसार हैः–

अभिवचन (Undertaking) का प्रारुप

मैंने राज्य सेवा परीक्षा के विज्ञापन क्रमांक .... के अंतर्गत आवेदन पत्र आयोग को प्रस्तुत किया है तथा मैं छत्तीसगढ़ निवासी भूतपूर्व सैनिक हूं। अतः भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित पद के विरुद्ध मुझे भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अंतर्गत मान्य किया जाये। भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण–पत्र संलग्न है।

मैंने पूर्व में शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिक को देय आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं किया है।

हस्ताक्षर ....

नाम ....

नोटः– ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु पूर्व में भूतपूर्व सैनिक को देय आरक्षण का लाभ प्राप्त कर लिया हैं, उन्हें पुनः भूतपूर्व सैनिक को देय आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

टीपः– (i) भूतपूर्व सैनिक = थल सेना/जल सेना/वायु सेना

(ii) अर्ध सैनिक बल भूतपूर्व सैनिक के अंतर्गत पात्र नहीं होंगे।

(14) राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा हेतु आयोग को कोई प्रमाण पत्र/दस्तावेज भेजने/अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है।

(15) (i) राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के वास्तविक प्राप्तांकों (प्रथम प्रश्न पत्र–सामान्य अध्ययन) के आधार पर ही प्रावीण्य सूची बनेगी। इस प्रावीण्य सूची में विज्ञापित पदों के वर्गवार पंद्रह गुणा तथा अंतिम चयनित अभ्यर्थी के समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु चिन्हांकित किया जायेगा।

(ii) राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के वास्तविक प्राप्तांकों के आधार पर ही प्रावीण्य सूची बनेगी। इस प्रावीण्य सूची में विज्ञापित पदों के वर्गवार तीन गुणा तथा अंतिम चयनित अभ्यर्थी के समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु चिन्हांकित किया जायेगा।

(16) विज्ञापित पदों का अग्रमान्यता पत्रक साक्षात्कार के पूर्व निर्धारित तिथि में अभ्यर्थियों से ऑनलाइन प्राप्त किया जावेगा तथा इसी अग्रमान्यता पत्रक के अनुसार गुणानुक्रम में अभ्यर्थियों का चयन होगा। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन अग्रमान्यता पत्रक प्रस्तुत कर देने के पश्चात् उसमें परिवर्तन/संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जायेगी अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित समयावधि में अग्रमान्यता नहीं भरने पर विज्ञापित पदों के क्रम अनुसार अभ्यर्थियों की अग्रमान्यता निर्धारित की जावेगी। अग्रमान्यता में संशोधन के संदर्भ में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।

(17) साक्षात्कार एवं मुख्य परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर अभ्यर्थी द्वारा अग्रमान्यता पत्रक में दिये अधिमान के क्रम तथा अर्हता के अनुसार पद आंबटित किये जायेंगे। अग्रमान्यता पत्रक में जिन पदों के लिए अभ्यर्थी द्वारा अधिमान नहीं दिया जायेगा उन पदों के लिए उसके नाम पर विचार नहीं किया जावेगा।

(18) ऑनलाईन आवेदन हेतु आवेदन शुल्क :–

(i) छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए रूपये 400/– (चार सौ रूपये) आवेदन शुल्क देय होगा। **छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी आवेदकों से कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जावेगा।** सभी अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल शुल्क + जीएसटी शुल्क देय होगा किन्तु सशुल्क त्रुटि सुधार की प्रक्रिया में त्रुटि सुधार शुल्क तथा पेमेंट गेटवे शुल्क निर्धारित दर अनुसार अभ्यर्थी द्वारा देय होंगे।

(19) ऑनलाईन आवेदन तथा त्रुटि सुधार की समयावधि समाप्त होने के उपरांत विशेष प्रकरण मानते हुए अभ्यर्थियों को केवल जन्मतिथि, लिंग, वर्ग, मूल निवास, निःशक्तता एवं भूतपूर्व सैनिक संबंधित त्रुटियों में ही सुधार का अवसर विज्ञापन में दर्शित समयावधि के लिए सशुल्क दिया जाएगा।

(i) सशुल्क त्रुटि सुधार हेतु संबंधित अभ्यर्थी से एक या अधिक त्रुटियों के सुधार के लिए रूपये 500/– का शुल्क लिया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन पोर्टल में छत्तीसगढ़ के निवासी कॉलम में हां के स्थान पर नहीं का त्रुटि सुधार किया जाए तो अभ्यर्थी को नियमानुसार शुल्क का भुगतान करना होगा। छत्तीसगढ़ निवासी कॉलम में नहीं के स्थान पर हां का त्रुटि सुधार किया जाए तो शुल्क की राशि वापस नहीं होगी।

(ii) सशुल्क त्रुटि सुधार की प्रक्रिया में पेमेंट गेटवे शुल्क तथा लागू कर निर्धारित दर अनुसार अभ्यर्थी द्वारा देय होंगे।

(iii) **सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात् किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार से त्रुटि सुधार का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा।**

(iv) सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात संबंधित अभ्यर्थी के डाटा को अंतिम माना जाएगा तथा साक्षात्कार/अंतिम चयन के पूर्व दस्तावेज परीक्षण के दौरान उक्त डाटा का मूल दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन किया जाएगा।

(v) त्रुटि सुधार की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाईन होगी।

(20) अनर्हताः– छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के अनुसार निम्नलिखित प्रकार की अनर्हता भी लागू होगी :–

(i) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नि जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी।

परन्तु यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(ii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक और शारीरिक रुप से स्वस्थ्य और सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त ना पाया जाए।

परन्तु आपवादिक मामलों में किसी अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अध्याधीन अस्थायी रुप से नियुक्त किया जा सकेगा कि यदि उसे स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।

(iii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि ऐसी जांच के बाद, जैसे कि आवश्यक समझी जाए, नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाए कि वह सेवा या पद के लिए किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।

(iv) कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परन्तु जहां तक किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

उपरोक्त नियम के परिप्रेक्ष्य में शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिसके विरुद्ध बालिकाओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि से संबंधित नैतिक अधोपतन की श्रेणी में आने वाले अपराध–भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 354, 376, 376क, 376ख, 376ग, 376घ, 509, 493, 496 एवं 498 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act), 2012 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज हो, उन्हें शासकीय सेवाओं एवं पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकरण के अंतिम निर्णय होने तक प्रतिबंधित किया जाये। (छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1–1/2017/1–3 नवा रायपुर, दिनांक 11/09/2023)

(v) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(21) विज्ञापन के संबंध में संपूर्ण जानकारी/संशोधन आदि का प्रकाशन आयोग की वेबसाइट में जारी/प्रकाशित किया जाता है। अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आयोग के वेबसाइट/पोर्टल का सतत अवलोकन करते रहें। आयोग उपरोक्तानुसार प्रकाशित किये जाने वाले संशोधन/जानकारी की पृथक सूचना व्यक्तिशः जारी नहीं करेगा।

(22) विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें/महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि का निर्वचन (Interpretation):–

इस विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि के निर्वचन का अधिकार आयोग का रहेगा एवं इस संबंध में किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं आयोग द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा।

सही/–

सचिव

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,

नवा रायपुर अटल नगर

परिशिष्ट–5
प्रपत्र–1

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (ध) की परिभाषा के तहत कवर किए गए लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2(द) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किए गए, अर्थात **40 प्रतिशत से कम** दिव्यांगता वाले और लिखने में कठिनाई होने वाले विनिर्दिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्ति के लिए प्रमाण पत्र।

यह प्रमाणित किया जाता है कि, हमने (गांव/पीओ/पीएस/जिला/राज्य) के निवासी ....के पुत्र/पुत्री, आयु . ...वर्ष, (श्री/सुश्री/श्रीमति ....(उम्मीदवार का नाम) जो .... (दिव्यांगता की प्रकृति/स्थिति) से ग्रस्त है, की जांच की है ....और यह उल्लेख करते हैं कि उसकी सीमाएं हैं, जो उसकी उपरोक्त स्थिति के कारण उसकी लेखन क्षमता को बाधित करती है। उसे परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब की आवश्यकता है।

2. उपर्युक्त उम्मीदवार सहायक उपकरण जैसे प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स, हियरिंग एड (विनिर्दिष्ट किया जाने वाला नाम) का उपयोग करता है जो उम्मीदवार के लिए स्क्राइब की सहायता से परीक्षा में बैठने के लिए आवश्यक है।

3. यह प्रमाण पत्र केवल भर्ती एजेंसियों के साथ–साथ शैक्षिक संस्थानों द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में बैठने के उद्देश्य से जारी किया जाता है और ....तक मान्य है (यह अधिकतम छः महीने या उससे कम की अवधि के लिए मान्य है जैसा कि चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा)

चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर

(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)
आर्थोपेडिक/पीएमआर विशेषज्ञ	क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक/ पुनर्वास मनोवैज्ञानिक/ मनोचिकित्सक/ विशेष प्रशिक्षक	न्यूरोलॉजिस्ट (यदि उपलब्ध हो)	ओक्यूपेशनल थेरेपिस्ट (येदि उपलब्ध हो)	अन्य विशेषज्ञ, जैसा कि अध्यक्ष द्वारा नामित किया गया है (यदि कोई हो)
(हस्ताक्षर और नाम)				
मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी...................................अध्यक्ष				

सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य देखभाल केंद्र का मोहर सहित नाम

स्थानः

दिनांकः

क्रमशः

<u>परिशिष्ट–5</u>
प्रपत्र–1

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (द) की परिभाषा के तहत कवर किए गए **<u>40 प्रतिशत या अधिक</u>** दिव्यांगता वाले और लिखने में कठिनाई होने वाले विनिर्दिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्ति के लिए प्रमाण पत्र।

यह प्रमाणित किया जाता है कि, हमने (गांव/पीओ/पीएस/जिला/राज्य) के निवासी ....के पुत्र/पुत्री, आयु . ...वर्ष, (श्री/सुश्री/श्रीमति ....(उम्मीदवार का नाम) जो .... (दिव्यांगता की प्रकृति/स्थिति) से ग्रस्त है, की जांच की है ....और यह उल्लेख करते हैं कि उसकी सीमाएं हैं, जो उसकी उपरोक्त स्थिति के कारण उसकी लेखन क्षमता को बाधित करती है। उसे परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब की आवश्यकता है।

2. उपर्युक्त उम्मीदवार सहायक उपकरण जैसे प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स, हियरिंग एड (विनिर्दिष्ट किया जाने वाला नाम) का उपयोग करता है जो उम्मीदवार के लिए स्क्राइब की सहायता से परीक्षा में बैठने के लिए आवश्यक है।

3. यह प्रमाण पत्र केवल भर्ती एजेंसियों के साथ–साथ शैक्षिक संस्थानों द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में बैठने के उद्देश्य से जारी किया जाता है और ....तक मान्य है (यह अधिकतम छः महीने या उससे कम की अवधि के लिए मान्य है जैसा कि चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा)

चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर

(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)
आर्थोपेडिक/पीएमआर विशेषज्ञ	क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक/ पुनर्वास मनोवैज्ञानिक/ मनोचिकित्सक/ विशेष प्रशिक्षक	न्यूरोलॉजिस्ट (यदि उपलब्ध हो)	ओक्यूपेशनल थेरेपिस्ट (येदि उपलब्ध हो)	अन्य विशेषज्ञ, जैसा कि अध्यक्ष द्वारा नामित किया गया है (यदि कोई हो)
(हस्ताक्षर और नाम)				
मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी....................................अध्यक्ष				

सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य देखभाल केंद्र का मोहर सहित नाम

स्थानः

दिनांकः

परिशिष्ट–6
प्रपत्र–2

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (ध) की परिभाषा के तहत कवर किए गए, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2 (द) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किये गए विनिर्दिष्ट दिव्यांगता अर्थात **40 प्रतिशत से कम** दिव्यांगता वाले और लिखने में कठिनाई होने वाले व्यक्ति द्वारा वचनबंध

मैं ....(दिव्यांगता की प्रकृति/स्थिति) वाला एक उम्मीदवार, जो .... (राज्य का नाम) के ....(जिले) में .... (परीक्षा का नाम) में रोल नंबर से .... (केंद्र का नाम) में बैठ रहा हूं। मेरी शैक्षणिक योग्यता .... है।

2. मैं एतद् द्वारा यह वचन देता हूं कि .... (लिखने वाले का नाम) उपरोक्त परीक्षा देने के लिए अधोहस्ताक्षरी के लिए स्क्राइब की सेवा प्रदान करेगा।

3. मैं एतद् द्वारा वचन देता हूं कि उनकी योग्यता .... है। इस मामले में, बाद में यदि यह पाया जाता है कि उनकी योग्यता अधोहस्ताक्षरी द्वारा यथा घोषित नहीं है और पद हेतु निर्धारित योग्यता से अधिक है तो मैं पद से संबंधित दावों के अपने अधिकार को खो दूंगा।

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

(अभिभावक/संरक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर, यदि उम्मीदवार नाबालिक है)

स्थानः

दिनांकः

क्रमशः

परिशिष्ट–6
प्रपत्र–2

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (ध) की परिभाषा के तहत कवर किए गए, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2 (द) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किये गए विनिर्दिष्ट दिव्यांगता अर्थात **40 प्रतिशत या अधिक** दिव्यांगता वाले और लिखने में कठिनाई होने वाले व्यक्ति द्वारा वचनबंध

मैं ....(दिव्यांगता की प्रकृति/स्थिति) वाला एक उम्मीदवार, जो .... (राज्य का नाम) के ....(जिले) में .... (परीक्षा का नाम) में रोल नंबर से .... (केंद्र का नाम) में बैठ रहा हूं। मेरी शैक्षणिक योग्यता .... है।

2. मैं एतद् द्वारा यह वचन देता हूं कि .... (लिखने वाले का नाम) उपरोक्त परीक्षा देने के लिए अधोहस्ताक्षरी के लिए स्क्राइब की सेवा प्रदान करेगा।

3. मैं एतद् द्वारा वचन देता हूं कि उनकी योग्यता .... है। इस मामले में, बाद में यदि यह पाया जाता है कि उनकी योग्यता अधोहस्ताक्षरी द्वारा यथा घोषित नहीं है और पद हेतु निर्धारित योग्यता से अधिक है तो मैं पद से संबंधित दावों के अपने अधिकार को खो दूंगा।

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

(अभिभावक/संरक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर, यदि उम्मीदवार नाबालिक है)

स्थानः

दिनांकः

परिशिष्ट–7
प्रपत्र–3

प्रति,

कलेक्टर,

जिला ————————

विषयः– आयोग द्वारा आयोजित ——————————————परीक्षा में सह लेखक प्रदाय करने संबंधी।

——00——

विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैं ————————————————पिता श्री————————————————आयोग द्वारा आयोजित ———————————परीक्षा दिनांक ——————————में सम्मिलित हो रहा/रही हूं। इस परीक्षा में मैं एक दृष्टिहीनता, दोनों बाजुओं से प्रभावित और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात श्रेणियों से संबंधित दिव्यांग (————प्रतिशत) अभ्यर्थी हूँ।

मैं दृष्टिहीनता, दोनों बाजुओं से प्रभावित और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात श्रेणियों से संबंधित दिव्यांग अभ्यर्थी होने के कारण स्वयं लिख नहीं सकता/सकती हूं।

अतः मैं श्री/सुश्री ————————————————————पिता श्री ——————————————को सह लेखक के रूप में रखना चाहता हूं/चाहती हूं।

अतः आपसे निवेदन है कि सह लेखक के रूप में श्री/सुश्री ———————————————पिता श्री ———————————को सह लेखक के रूप में मान्य करते हुए प्रदाय करने की कृपा करें।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर——————————————

अभ्यर्थी का नाम————————————————

अभ्यर्थी का ई–मेल ——————————————

अभ्यर्थी का मोबाईल नम्बर————————————

परिशिष्ट–8
प्रपत्र–4

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, नवा रायपुर
सह लेखक द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाले स्व–घोषणा पत्र

1. परीक्षा का नाम .... वर्ष..
2. परीक्षा का प्रकार (ऑनलाइन/ऑफलाइन)..
3. परीक्षा का दिन व समय ....
4. परीक्षा केन्द्र का क्रमांक व नाम ....
5. अभ्यर्थी का नाम ....
6. अभ्यर्थी का अनुक्रमांक ....
7. अभ्यर्थी के पिता का नाम ....
8. सह लेखक का नाम ....
9. सह लेखक के पिता का नाम ....
10. सह लेखक द्वारा धारित उच्चतम शैक्षणिक योग्यता ....

स्व–घोषणा पत्र

मैं .... निष्ठापूर्वक यह प्रमाणित करता/करती हूं कि मैं स्वयं की सहमति से अभ्यर्थी श्री/सुश्री.. को परीक्षा में उनके कहे अनुसार परीक्षा दिलाने में मदद करने के लिए सह लेखक के रूप में उपस्थित हुआ/हुई हूं। मेरी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता .... है। मेरे द्वारा स्वयं के विवेक से किसी भी प्रश्न के उत्तर को लिखने अथवा सुधारने का प्रयास नहीं किया जाएगा। उक्त दिव्यांग अभ्यर्थी के कहे अनुसार ही शब्दश उत्तर लिखे अथवा चुने जाएंगे। मेरे द्वारा की गई उक्त घोषणा का कोई भी अंश चयन के किसी भी स्तर पर अथवा चयन के पश्चात कभी भी गलत पाया जाता है, तो मेरे विरूद्ध अनुशासनिक/कानूनी कार्यवाही करने का सम्पूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग व/अथवा संबंधित विभाग को होगा तथा इस संबंध में मेरे द्वारा किसी प्रकार का वाद प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

सह लेखक के हस्ताक्षर	अभ्यर्थी के हस्ताक्षर/ अगुंठे का निशान	केंद्राध्यक्षक के हस्ताक्षर व केंद्र की सील

राज्य सेवा परीक्षा नियम

छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ 6–3/2008/1/एक, दिनांक 27.08.2008 यथा संशोधित के अनुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आवश्यकता होने पर प्रति वर्ष निम्नलिखित सेवाओं/पदों पर भर्ती के लिए राज्य सेवा परीक्षा नामक एक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जायेगी:–

सेवा/पद की श्रेणी

1.	राज्य सिविल सेवा (उप–जिलाध्यक्ष)	द्वितीय
2	राज्य पुलिस (उप–अधीक्षक, पुलिस)	द्वितीय
3.	राज्य लेखा सेवा	द्वितीय
4.	वाणिज्यक कर अधिकारी (राज्य कर सहायक आयुक्त)	द्वितीय
5.	जिला आबकारी अधिकारी,	द्वितीय
6.	सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थायें,	द्वितीय
7.	जिला संयोजक, आदिमजाति कल्याण	द्वितीय
8.	श्रम अधिकारी	द्वितीय
9.	जिला पंजीयक	द्वितीय
10.	रोजगार अधिकारी	द्वितीय
11.	क्षेत्र संयोजक	द्वितीय
12.	खंड विकास अधिकारी	द्वितीय
13.	सहायक संचालक, खाद्य/खाद्य अधिकारी	द्वितीय
14.	परियोजना अधिकारी, सामाजिक/ग्रामीण गहनसाक्षरता परियोजना	द्वितीय
15.	अधीनस्थ सिविल सेवा (नायब तहसीलदार)	तृतीय
16.	सहायक अधीक्षक, भू–अभिलेख	तृतीय
17.	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	तृतीय
18.	आबकारी उप–निरीक्षक	तृतीय
19.	परिवहन उप–निरीक्षक	तृतीय
20.	सहकारिता निरीक्षक	तृतीय
21.	सहायक श्रम अधिकारी	तृतीय
22.	सहायक जेलर	तृतीय
23.	उप–पंजीयक	तृतीय
24.	सहायक संचालक जनसंपर्क	द्वितीय
25.	प्राचार्य पंचायत सचिव प्रशिक्षण संस्थान	द्वितीय
26.	जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी	द्वितीय
27.	मुख्य अनुदेशक (आंगनबाड़ी/ग्राम सेविका, प्रशिक्षण केन्द्र)	द्वितीय
28.	सहायक संचालक (महिला एवं बाल विकास)	द्वितीय
29.	अधीक्षक (संस्थाएं)	द्वितीय
30.	परियोजना अधिकारी (एकीकृत बाल विकास परियोजना)	द्वितीय
31.	सहायक परियोजना अधिकारी (विशेष पोषण आहार कार्यक्रम)	द्वितीय
32.	क्षेत्रीय संगठक (एम.डी.एम.)	द्वितीय
33.	जिला सेनानी नगर सेना	द्वितीय
34.	सहायक संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा	द्वितीय
35.[5]	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	द्वितीय
36.	छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी	तृतीय
37.[2]	अधीक्षक, जिला जेल	द्वितीय
38.[3]	सहायक संचालक, नगरीय प्रशासन और विकास विभाग	द्वितीय
39.[3]	सहायक संचालक, समाज कल्याण विभाग	द्वितीय
40.[5]	सहायक परियोजना अधिकारी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	द्वितीय
41.[8]	सहायक संचालक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	द्वितीय
42.[9]	मुख्य नगर पालिका अधिकारी वर्ग–ख	द्वितीय
43.[9]	मुख्य नगर पालिका अधिकारी वर्ग–ग	तृतीय

2. यह संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा निम्न चरणों में संपन्न होगी:–

• राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा जिसके माध्यम से राज्य सेवा मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों का चयन किया जायेगा।

• राज्य सेवा मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा और साक्षात्कार) जिसके द्वारा विभिन्न श्रेणियों की सेवाओं तथा पदों के लिये उम्मीदवारों का अंतिम चयन किया जायेगा।

परीक्षा की योजना तथा विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम परिशिष्ट–पांच, परिशिष्ट–छः एवं परिशिष्ट–सात के अधीन दिए अनुसार होंगे।

(एक) समस्त उम्मीदवारों को भले ही उन्होने किसी सेवा/पद विशेष को अधिमान दिया हो, परीक्षा की योजना (परिशिष्ट पाच) में उल्लेखित अनुसार उतनी ही संख्या में प्रश्न पत्र देने होंगे।[2]

3. (एक) प्रारंभिक परीक्षा में आयोग द्वारा अपने विवेकानुसार निर्धारित किए गए न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के नाम, उनके द्वारा प्राप्त अंको के अनुसार क्रमिक रूप से रखे जायेंगे, इन उम्मीदवारों में से अधिक से अधिक विभिन्न प्रवर्गो के अधीन कुल पद संख्या के पन्द्रह गुना के बराबर उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए अर्ह माना जाएगा और प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम तद्नुसार घोषित किये जायेंगे। मुख्य परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले **अनारक्षित वर्ग,** अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों की सूची–पृथक रूप से तैयार की जायेगी और उनके परिणाम तद्नुसार घोषित किये जायेंगे, प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिये केवल अनुवीक्षण (स्क्रीनिंग) परीक्षा होगी और उम्मीदवारों के अंतिम चयन के संबंध में इस परीक्षा में प्राप्त अंको पर विचार नहीं किया जाएगा।

(दो) मुख्य परीक्षा में बैठने वाले और आयोग द्वारा अपने विवेकानुसार नियत किए जाने वाले ऐसे अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के नाम उनके द्वारा मुख्य परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के क्रम में रखे जायेंगे। इन उम्मीदवारों में से, विभिन्न सेवाओं के अधीन कुल पद संख्या के तीन गुना के बराबर उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने के लिए अर्ह माना जाएगा। इसी प्रकार **अनारक्षित वर्ग,** अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन–जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे उम्मीदवारों की, जो साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने के लिए अर्ह पाए गए हो, एक पृथक सूची तैयार की जायेगी।

(तीन) (अ) साक्षात्कार के पश्चात् आयोग द्वारा उम्मीदवारों के नाम मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार में उन्हें दिए गए कुल अंकों के अनुसार योग्यता क्रम में रखे जायेंगे।

किसी सेवा विशेष के लिए किसी उम्मीदवार की सिफारिश करते समय, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, आवेदन में उसके द्वारा व्यक्त किये गये अधिमान पर यदि कोई हो, सम्यक रूप से विचार किया जायेगा।

(1) यदि किसी उम्मीदवार ने आवेदन पत्र में कोई अधिमान व्यक्त न किया हो तो उसके संबंध में सभी पदों के लिए उस क्रम से विचार किया जायेगा जिस क्रम से वे विज्ञापन में दिए गए हों।

(2) यदि उम्मीदवार अपने अधिमान वाले किसी पद के लिए अंक प्राप्त करने में सफल न हों उसके संबंध में अन्य पद/पदों के लिए उसके द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर उसी क्रम से विचार किया जायेगा जिस क्रम से वे विज्ञापन में दिए गए हैं तथापि उसका विचार उन पदों के लिए नहीं किया जायेगा जिन पदों के लिए उसने अनिच्छा व्यक्त किया हो कि उसका विचार नहीं किया जाये।

(3) उपर्युक्त सिद्धान्त अनुपूरक सूची तैयार करते समय भी लागू होंगे।

(आ)[1] अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के मामलों में प्रत्येक पद के लिए योग्यता सूची रक्षित रिक्त स्थानों

क्रमशः

को ध्यान में रखते हुए इसी प्रकार पृथक रूप से तैयार की जायेगी। यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई उम्मीदवार उसके कुल अंकों के आधार पर **अनारक्षित सूची** में स्थान प्राप्त कर लेता है तो उसे **अनारक्षित सूची** में दर्शाया जाएगा और उसकी इस शर्त के अध्यधीन रक्षित रिक्त स्थानों में उसकी गणना नहीं की जाएगी।

(चार) आयोग के प्रत्येक पद के लिए प्रमुख सूची में दी गई उम्मीदवारों की कुल संख्या के 25 प्रतिशत तक के उम्मीदवारों की एक अनुपूरक सूची भी तैयार करेगा।

4. आयोग की सिफारिश प्राप्त होने के पश्चात् शासन उम्मीदवारों के बारे में ऐसी जाँच पड़ताल करेगा, जो वह यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से उचित समझे कि वे संबंधित पद पर नियुक्ति के लिए सभी दृष्टियों से उपयुक्त है। शासन उम्मीदवारों की नियुक्ति देने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

5. पात्रता संबंधी शर्तें–(क) राष्ट्रीयता– उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए।

(ख) न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता:– उम्मीदवार के पास भारत में केन्द्रीय या राज्य विधान मण्डलों के अधिनियम द्वारा निगमित/समाविष्ट विश्वविद्यालयों में से किसी विश्वविद्यालय की या संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–1956 की धारा–3 के अधीन विश्वविद्यालय मानी गई किसी शैक्षणिक संस्था की उपाधि होना चाहिए अथवा उसके समकक्ष अर्हताएं होनी चाहिए।

टीप (एक) उम्मीदवार जो ऐसी किसी परीक्षा मे बैठे हो जिसमें उत्तीर्ण होने से वे आयोग की परीक्षा के लिए शैक्षणिक रूप से अर्ह हो जाएंगे, किन्तु जिन्हें परिणाम की जानकारी नहीं हुई है तथा ऐसे उम्मीदवार जो ऐसी अर्हकारी परीक्षा में बैठना चाहते हों वे भी प्रारंभिक परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे ऐसे समस्त उम्मीदवारों से जो आयोग द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के लिए अर्ह घोषित किए गए हो मुख्य परीक्षा के लिए अपने आवेदन पत्र के साथ वांछित परीक्षा उत्तीर्ण करने के प्रमाण प्रस्तुत करने की **अनिवार्यता होगी।**

टीप (दो) ऐसे उम्मीदवार भी जिनके पास ऐसी व्यावसायिक तथा तकनीकी अर्हताएँ हों जो राज्य शासन द्वारा व्यावसायिक तथा तकनीकी उपाधि के समकक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त हों, परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे।

(ग) आयु (अ) अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापन प्रकाशित होने के वर्ष की 01 जनवरी को 21 वर्ष की न्यूनतम आयु अनिवार्य रुप से पूर्ण कर ली हो किन्तु अधिकतम आयु 30 वर्ष से अधिक न हो। परन्तु यह कि, छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी/मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी। [3]

(2) परन्तु यह कि राज्य शासन सेवाओं की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए इन नियमों में शामिल सेवाओं में से किसी सेवा के लिए न्यूनतम आयु सीमा और अधिकतम आयु सीमा में परिवर्तन कर सकता है।

(आ) ऊपर विहित अधिकतम आयु सीमा में निम्नलिखित आयु सीमा तक छूट दी जा सकेगी:–

(एक) अधिकतम पांच वर्ष तक: यदि छत्तीसगढ़ का अधिवासी कोई उम्मीदवार ऐसी जाति या जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग का हो जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में अधिसूचित की गई हो।

(दो) अधिकतम तीन वर्ष तक: यदि कोई उम्मीदवार निम्नलिखित स्थानों में भारतीय मूल के वास्तविक स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्ति हों:–

(1) बर्मा से, जिसने 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत प्रवजन किया हो:

या

(2) श्रीलंका से जिसने 1 नवम्बर, 1964 के पश्चात् भारत प्रवजन किया हो

या

(3) यदि उम्मीदवार तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और जिसने 1 जनवरी 1964 और 25 मार्च 1971 के बीच की अवधि के दौरान भारत प्रवजन किया हो।

(तीन) अधिकतम 8 वर्ष तक: यदि उम्मीदवार ऊपर (दो) में उल्लिखित स्वदेश प्रत्यावर्तित या विस्थापित व्यक्ति हो और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित किए अनुसार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का हो तथा छ.ग. में अधिवासित हो,

(चार) अधिकतम 5 वर्ष तक: यदि उम्मीदवार अपनी प्रथम नियुक्ति के समय विधवा हो,

(पाँच) अधिकतम 5 वर्ष तक: यदि उम्मीदवार सामान्य प्रशासन विभाग ज्ञापन क्रमांक सी. 10–85–3–1, दिनांक 03.09.1985 के अनुसार आदिम जाति, हरिजन तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा प्रवर्तित अन्तर्जातीय विवाह योजना अधीन पुरस्कार प्राप्त युगल में उच्च जाति का हो।

(छः) अधिकतम 5 वर्ष तक: यदि उम्मीदवार सामान्य प्रशासन विभाग, (छत्तीसगढ़) के ज्ञापन क्रमांक–एफ–19–2/2005/1–3 रायपुर दिनांक 01.12.2006 के अनुसार राजीव पाण्डे पुरस्कार प्राप्त, गुण्डाधुर सम्मान प्राप्त, महाराजा प्रवीणचंद्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ी हो अथवा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति हो

(सात) अधिकतम 3 वर्ष तक : सुरक्षा सेवा कर्मचारी के मामले में, जो किसी दूसरे देश से हुए युद्ध के दौरान या अशान्त क्षेत्र में किसी फौजी कार्यवाही के दौरान विकलांग हो और उसके परिणास्वरूप निर्मुक्त कर दिया गया हो,

(आठ) अधिकतम 8 वर्ष तक: यदि उपर्युक्त श्रेणी (सात) के अन्तर्गत आने वाला उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का हो,

(नौ) अधिकतम 3 वर्ष तक: ऐसे उम्मीदवार के मामले में जो वियतनाम से भारतीय मूल को वास्तविक प्रत्यावर्तित (भारतीय पासपोर्ट धारी) व्यक्ति हो तथा साथ ही ऐसा उम्मीदवार जो वियतनाम में भारतीय राजदूतावास द्वारा उसे जारी किया गया, आपातकाल प्रमाणपत्र धारित कर रहा हो तथा जो वियतनाम से भारत में जुलाई, 1975 के पूर्व न आया हो।

(दस) अधिकतम 8 वर्ष तक: यदि उपर्युक्त श्रेणी (नौ) के अन्तर्गत आने वाला उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का हो,

(ग्यारह) अधिकतम 5 वर्ष तक: ऐसे भूतपूर्व सैनिक तथा कमीशन्ड आफीसर्स, जिनमें ई.सी.ओ./एस.एस., सी.ओ. शामिल हैं, के मामले में जिन्होने परीक्षा प्रारंभ होने की तारीख से पूर्ववर्ती 1 जनवरी को सैनिक सेवा के कम से कम 5 वर्ष पूरे कर लिए हों और जिन्हें दुराचरण या अक्षमता अथवा सैनिक सेवा के दौरान हुई शारीरिक अक्षमता या अशक्तता के कारण बर्खास्त या सेवा मुक्त किए जाने से भिन्न स्थिति में सेवा पूरी करने पर निर्मुक्त किया गया था, इनमें वे व्यक्ति भी शामिल होंगे जिनकी सेवावधि उक्त तारीख से छह माह के भीतर समाप्त होने वाली है।

(बारह) अधिकतम 10 वर्ष तक: यदि उपर्युक्त श्रेणी (ग्यारह) के अन्तर्गत आने वाला उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का हो,

(तेरह) अधिकतम 10 वर्ष तक: महिलाओं के लिए–यहाँ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 07.02.1997 में प्रकाशित नियम छ०ग० सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम 1997 के अनुसार केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिला अभ्यर्थियों की आयु दस वर्ष शिथिलनीय होगा। [6]

(चौदह) छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी कर्मचारी या राज्य शासन के उपक्रम के स्थायी/अस्थायी कर्मचारी को 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।

टीप:– पद अस्थायी शासकीय कर्मचारी में ऐसा व्यक्ति शामिल है जो सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक–2998–सी.आर. 444–एक (3)/63, दिनांक 30.11.1963 के अनुसार छत्तीसगढ़ शासन का कार्यभारित कर्मचारी या आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाला कर्मचारी हो यह छूट स्वीकार्य नहीं होगी यदि उम्मीदवार परीक्षा के या तो पहले या बाद में त्याग पत्र दे दे तथा तथापि वे पात्र बने रहेंगे यदि वे अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् सेवा या पद से छटनी किए गए हो।

(पन्द्रह) अधिकतम 3 वर्ष तक: यदि उम्मीदवार छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो तो उसकी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में पूर्ण की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम सात वर्ष की अवधि कम करने के पश्चात् बशर्ते कि यह सेवा एक से अधिक बार में की गई हो।

क्रमशः

स्पष्टीकरणः– पद "छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी" से अभिहित है ऐसा व्यक्ति जो उस राज्य की या उसकी संघटक इकाइयों में से किसी ईकाई की अस्थाई शासकीय सेवा में कम से कम छः माह की निरन्तर अवधि तक रहा हो और रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराने की या शासकीय सेवा में नियोजन सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी की जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।

(सोलह) अधिकतम 5 वर्ष तक : यदि उम्मीदवार निःशक्त हो और उसने तृतीय श्रेणी सेवा/पदों के लिए आवेदन किया हो तथा उनके द्वारा कम से कम 40 प्रतिशत निःशक्तता का सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया हो।

(सत्रह) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ 1–2/2002/1/3 रायपुर दिनांक 2 जून, 2004 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षा कर्मियों की शासकीय सेवाओं के लिये निर्धारित आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जाये जितने वर्ष उसने शिक्षा कर्मी के रूप में सेवा की है इसके लिये 6 माह से अधिक सेवा को एक वर्ष की सेवा मान्य की जा सकेगी तथा यह छूट अधिकतम 45 वर्ष आयु की सीमा तक रहेगी।

टीपः– उपरोक्त वर्णित प्रावधानों के अतिरिक्त राज्य सेवा में भर्ती हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु सीमा आदि के संबंध में समय–समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

6. **नियम 5 (ग)** में दी गई स्थिति को छोड़ विहित आयु सीमाओं में किसी भी स्थिति में छूट नहीं दी जायेगी। उम्मीदवारों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आयोग केवल वही जन्मतिथि स्वीकार करेगा जो मैट्रिक या उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र में या उसके समकक्ष समझी गई परीक्षा के प्रमाण पत्र में अभिलिखित की गई हो। आयु से संबंधित अन्य दस्तावेज जैसे जन्मपत्री, शपथ पत्र, नगर निगम सेवा अभिलेखों से लिए गए जन्म संबंधी उद्धरण और इसी प्रकार के अन्य दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे, आवेदन पत्र में एक बार जन्म तिथि दर्ज हो जाने के बाद उसमें किसी परिवर्तन की किसी मांग पर किसी भी स्थिति में विचार नहीं किया जायेगा।

7. **(क)** कोई भी पुरुष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हो या जिसकी एक पत्नी जीवित हो और वह किसी ऐसी स्थिति में विवाह करता है, जिसमें ऐसा विवाह, ऐसी पत्नी के जीवनकाल के दौरान करने के कारण अमान्य हो, ऐसी किसी भी सेवा में नियुक्ति के लिए, जिस पर नियुक्ति इस परीक्षा के परिणामस्वरूप की जाएगी, तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि राज्य शासन का इस बात से समाधान न हो जाए कि ऐसा कोई विशेष आधार है और वह किसी पुरूष उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(ख) कोई महिला उम्मीदवार जिसका विवाह इस कारण से अमान्य हो कि ऐसे विवाह के समय उसके पति की एक पत्नी जीवित थी या जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी ऐसे विवाह के समय एक जीवित पत्नी हो, ऐसी किसी भी सेवा में नियुक्ति के लिए जिस पर नियुक्ति इस परीक्षा के परिणाम स्वरूप की जाएगी, तब तक पात्र नहीं होगी जब तक कि राज्य शासन का इस बात से समाधान न हो जाए कि ऐसा कोई विशेष आधार है और वह किसी महिला उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

8. उम्मीदवार का मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और उसमें ऐसा कोई शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जिससे सेवा विशेष के अधिकारी के रूप में उसके कर्तव्यों के निर्वहन में कोई बाधा पड़ने की संभावना हो। कोई उम्मीदवार, जो ऐसी चिकित्सा परीक्षा के पश्चात् जो यथास्थिति, शासन या नियुक्ति प्राधिकारी विहित करे, इन अपेक्षाओं के अनुसार न पाया जाए, नियुक्त नहीं किया जाएगा, केवल ऐसे उम्मीदवारों की चिकित्सा परीक्षा की जाएगी, जिनके संबंध में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने की संभावना हो।

9. आयोग उम्मीदवारों को किसी विशेष सेवा के लिए उनकी पात्रता के बारे में सलाह नहीं दे सकता। उम्मीदवारों को स्वयं यह देखना होगा कि क्या विहित आवश्यकता (शर्तें) पूरी करते हैं और क्या आवेदन करना उनके लिए सार्थक होगा तथापि उम्मीदवारों का ध्यान नीचे दी गई कतिपय सेवाओं के लिए दिए गए शारीरिक मानकों की ओर आकर्षित किया जाता है। आवेदन करने के पूर्व उम्मीदवारों को इस बात से स्वयं समाधान कर लेना चाहिए कि वे ऐसी सेवा के लिए विहित न्यूनतम आवश्यकताओं (शर्तों) को पूरा करते है।

ऊँचाई और सीने के घेरे का न्यूनतम मानक

स. क्र.	पद का नाम	ऊंचाई	सीना		वृद्धि
		पुरुष	बिना फुलाए	फुलाने के बाद	
1	उप अधीक्षक पुलिस	168 से.मी.	84 से.मी.	89 से.मी.	5 से.मी.
2	जिला आबकारी अधिकारी	5'–4"	31"	33"	–
3	परिवहन उप निरीक्षक	165 से.मी.	81.50 से.मी.	–	–
4	आबकारी उप निरीक्षक	165 से.मी.	81 से.मी.	85 से.मी.	–
5	सहायक जेलर	1.65 मीटर	0.80 मीटर	–	–

10. परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक कि शासन का, ऐसी जाँच के बाद जो आवश्यक समझी जाए, इस बात से समाधान न हो जाए कि उम्मीदवार सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से योग्य है।

11. परीक्षा में प्रवेश के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अन्य बातों के बारे में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। इस मुद्दे पर कोई अभ्यावेदन या पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में प्रवेश अनन्तिम होगा, यदि बाद की तारीख के सत्यापन के समय यह पता चलता है कि, उम्मीदवार पात्रता की समस्त शर्ते पूरी नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। यदि उसका दावा गलत पाया जाता है तो आयोग द्वारा नीचे दिए गए नियम 14 के निबंधनों के अधीन उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी।

इस तथ्य का कि उम्मीदवार को परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है, यह अर्थ नहीं होगा कि, उसकी उम्मीदवारी को आयोग द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया है या यह कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन पत्र में उम्मीदवार द्वारा की गई प्रविष्टियां आयोग द्वारा सही और शुद्ध रूप में स्वीकार कर ली गई हैं।

यह बात ध्यान में रखी जाए कि मूल दस्तावेजों के संदर्भ में उम्मीदवार की पात्रता की शर्तों का सत्यापन उम्मीदवार के मुख्य परीक्षा हेतु योग्य पाए जाने के बाद किया जाएगा और तब तक आयोग द्वारा उम्मीदवार की अंतिम रूप से पुष्टि नहीं कर दी जाती तब तक यह अंतिम ही रहेगी।

12. किसी भी उम्मीदवार को प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा में तब तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र न हो।

13. **(एक)** आयु में किसी छूट या किसी अन्य रियायत के लिए दावा करने वाले उम्मीदवार को अपने आवेदन पत्रों के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उपर्युक्त मूल प्रमाण पत्र संलग्न करना चाहिए। ऐसे प्रमाण पत्र के अभाव में किसी छूट/रियायत के हकदार होने के बारे में उनके मामले पर विचार नहीं किया जाएगा।

(दो) ऐसे उम्मीदवार को जो छत्तीसगढ़ के छटनी किए गए शासकीय सेवक के रूप में आयु छूट के लिए दावा करता है उस विभागाध्यक्ष या कार्यालय प्रमुख से प्राप्त मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए जहाँ से उसे छटनी किया गया था उसमें उसके द्वारा धारित प्रत्येक पद का नाम और प्रत्येक पद पर उनकी नियुक्ति तथा पद छोड़ने की तारीख का उल्लेख होगा और यह भी प्रमाणित किया जाएगा कि स्थापना में कटौती के कारण उसे सेवामुक्त किया गया था। उसे रोजगार कार्यालय में अपने पंजीयन की, यदि कोई हो, एक अभिप्रमाणित प्रति भी प्रस्तुत करनी चाहिए।

(तीन) छत्तीसगढ़ भूतपूर्व सैनिक के रूप में आयु में छूट का दावा करने वाले उम्मीदवार को अपने विगत मंत्रालय/कार्यालय से प्राप्त मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें उसकी प्रतिरक्षा सेवा के प्रारंभ होने तथा सेवामुक्त होने की तारीखों का उल्लेख होगा और यह कि उसे मितव्ययिता इकाई की सिफारिश के फलस्वरूप या स्थापना सामान्य कमी के कारण, जो भी स्थिति हो, छटनी

क्रमशः

किया गया था या अधिक घोषित किया गया था। उसे रोजगार कार्यालय में अपने पंजीयन की, यदि कोई हो, एक अभिप्रमाणित प्रति भी प्रस्तुत करनी चाहिए।

14. ऐसे उम्मीदवार को, जिसे आयोग ने निम्नलिखित के लिए दोषी पाया हो:–

(एक) जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिए लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो,

(दो) उद्धारूप प्रतिरूपण धारण किया हो, या

(तीन) किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया/किया हो,

(चार) झूठे दस्तावेज या ऐसे दस्तोवज प्रस्तुत किए हों जिनमें फेरबदल किया गया हो, या

(पाँच) ऐसे बयान दिए हों जो गलत और झूठे हों या जिनमें चयन के किसी भी स्तर पर सारभूत जानकारी छिपाई हो, या

(छः) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो,

(सात) परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या

(आठ) परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुँचाई हो, या

(नौ) उनके प्रवेश पत्र में उम्मीदवारों के लिए दी गई किन्हीं भी हिदायतों या अन्य अनुदेशों, जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारी द्वारा मौखिक रूप से दी गई हिदायतें भी शामिल हैं, का उल्लंघन किया हो, या

(दस) परीक्षा कक्ष में साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो। आपराधिक अभियोजन के लिए उसे दोषी ठहराने के अलावा:–

(क) आयोग द्वारा उस परीक्षा के लिए जिसके लिए वह उम्मीदवार है, अयोग्य ठहराया जा सकेगा और/या

(ख) उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए विवर्जित किया जावेगा,

(एक) आयोग द्वारा परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले चयन से

(दो) राज्य शासन द्वारा उसके अधीन नियोजन से वंचित किया जा सकेगा, और

(ग) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी, परन्तु यह कि, इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक आरोपित नहीं की जाएगी जब तक कि:–

(एक) उम्मीदवार को, लिखित में ऐसा अभ्यावेदन जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और

(दो) उम्मीदवार द्वारा अनुमत अवधि के भीतर प्रस्तुत किए अभ्यावेदन पर विचार न किया गया हो।

15. [1] नियत अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त हुए ऑनलाइन आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

16. आयोग के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि, वह आवेदन फार्म में दिए गए अधिमान को दृष्टि में रखकर उम्मीदवार को परीक्षा केन्द्र आबंटित करे। केन्द्र बदलने या आवेदन फार्म की कोई प्रविष्टि बदलने के लिए कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

17. [1] उप नियम 17 को विलोपित किया गया है।

18. आयोग, प्रारंभिक परीक्षा के लिए अंक सूची प्रदान नहीं करेगा क्योंकि, यह केवल एक अनुवीक्षण–परीक्षा (स्क्रीनिंग–परीक्षा) होती है। अतः इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जायेगा, तथापि, मुख्य परीक्षा की अंक सूचियाँ उम्मीदवारों को अंतिम परिणाम प्रकाशित होने के बाद भेजी जायेंगी।

19. आयोग, लिखित परीक्षा या मौखिक परीक्षा के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों के यात्रा या अन्य व्ययों की पूर्ति नहीं कराता है, छत्तीसगढ़ के लिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में अधिसूचित, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को जो छत्तीसगढ़ में अधिवासित हो तथा पहले से सेवा में न हो, वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 2030–छ–आर दो, दिनांक 22.06.1963 के अनुसार यात्रा व्यय केवल बस या रेल वास्तविक किराया का भुगतान किया जायेगा। देयक फार्म संबंधित परीक्षा या मौखिक परीक्षा केन्द्रों पर उपलब्ध होंगे। इस सत्यापन के बाद कि उम्मीदवार ने वास्तव में परीक्षा दी है, भुगतान किया जायेगा।

20. किसी विशेष सेवा के लिए अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को ऐसा प्रशिक्षण लेना होगा और ऐसी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, जो शासन द्वारा विहित की जाये, उन्हें छत्तीसगढ़ में किसी भी स्थान पर सेवा करनी होगी और उन्हें दी गई नियुक्ति को तत्काल स्वीकार करने में समर्थ होना चाहिये। पुलिस उप–अधीक्षक के रूप नियुक्ति के लिए आयोग द्वारा चुने गये उम्मीदवारों को पुलिस उप अधीक्षक के रूप में या अन्य समान हैसियत में जैसा राज्य शासन चाहे कम से कम तीन वर्षो की अवधि के लिए राज्य शासन की सेवा करने के लिए एक बंध पत्र निष्पादित करना होगा।

21. निरसन तथा अपवादः– इन नियमों से तत्संबंधी सभी नियम जो इनके प्रारंभ होने के तत्काल पूर्व लागू हों, एतद् द्वारा इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले मामलों के संबंध में निरसित किए जाते हैः–

परन्तु यह कि इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्यवाही, इन नियमों के तत्संबंधी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही मानी जाएगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

जेवियर तिग्गा, उप सचिव

1 छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 6–3/2008/1/एक, दिनांक 23/12/2011 द्वारा संशोधित।

* छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 6–3/2008/1/एक, दिनांक 24/12/2012 द्वारा संशोधित।

2 छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 6–3/2008/1/एक, दिनांक 02/03/2013 द्वारा संशोधित।

* छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 6–3/2008/1/एक, दिनांक 27/07/2013 द्वारा संशोधित।

3 छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 6–3/2008/1/एक, दिनांक 17/12/2013 द्वारा संशोधित।

4 छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 6–2/2014/1/3, दिनांक 10/10/2014 द्वारा विलोपित।

5 छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 6–3/2008/एक(1), दिनांक 20/11/2015 द्वारा संशोधित।

6 छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 3–1/2016/1–3, दिनांक 11/01/2017 द्वारा संशोधित।

7 छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 20–4/2014/आ.प्र./1–3 दिनांक 27/09/2014 द्वारा संशोधित।

8 छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 6–3/2008/1(एक) दिनांक 05/12/2018 द्वारा संशोधित।

9 छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 6–3/2008/1(एक) दिनांक 05/07/2019 द्वारा संशोधित।

STATE SERVICES EXAMINATION RULES

As per Order Government of Chhattisgarh, General Administration Department vide Notification No. F 6-3/2008/1/One, Dated 27.08.2008 & Ammendment notifications Combined Competitive Examination called State Services Examination for recruitment to the following services/posts may be held annually, if required by the Chhattisgarh Public Service Commission:

Class of Service/Post

1.	State Civil Service (Deputy Collector)	II
2.	State Police Service (Dy. Superintendent of Police)	II

क्रमशः

3.	State Accounts Service	II
4.	Commercial Tax Officer (Assistant Commissioner of State Tax)	II
5.	District Excise Officer	II
6.	Assistant Registrar Cooperative Societies	II
7.	District Organiser, Tribal Welfare	II
8.	Labour Officer	II
9.	District Registrar	II
10.	Employment Officer	II
11.	Area Organiser	II
12.	Block Development Officer	II
13.	Assistant Director Food/Food Officer	II
14.	Project Officer, Social /Rural Intensive Literacy Project	II
15.	Subordinate Civil Service (Naib Tahsildar)	III
16.	Assistant Superintendent Land Records	III
17.	Commercial Tax Inspector	III
18.	Excise Sub-Inspector	III
19.	Transport Sub-Inspector	III
20.	Co-operative Inspector	III
21.	Assistant Labour Officer	III
22.	Assistant Jailor	III
23.	Sub-Registrar	III
24.	Assistant Director Public Relation	II
25.	Principal, Panchayat Secretary of the Training Institute	II
26.	District Women Child Development Officer	II
27.	Chief Instructor (Anganwadi/Gram Sevikas Training Centre)	II
28.	Assistant Director (Women and Child Development)	II
29.	Superintendent (Institutions)	II
30.	Project Officer (Integrated Child Development Project)	II
31.	Assistant Project Officer (Special Nutrition Programme)	II
32.	Area Organizer (M.D.M.)	II
33.	District Commandant Home Guard	II
34.	Assistant Director Local Fund Audit	II
35.[5]	Chief Executive Officer, Janpad Panchayat	II
36.	Chhattisgarh Subordinate Account Service Officer	III
37.[2]	Superintendent District Jail	II
38.[3]	Assistant Director, Urban Administration and Development Department	II
39.[3]	Assistant Director, Social Welfare Department	II
40.[5]	Assistant Project officer, Panchayat & Rural Development Department	II
41.[8]	Assistant Director, Panchayat & Rural Development Department	II
42.[9]	Chief Municipal Officer Grade-B	II
43.[9]	Chief Municipal Officer Grade-C	III

2. The combined competitive examination comprises following successive stages:

- The State Services Preliminary Examination for selection of candidates for Main Examination.
- State Services Main Examination (written Examination and Interview) for final selection of candidates for the various categories of services and post.

The Scheme of examination and syllabi of different subjects would be as given under Appendix I, II and III respectively.

(i) All candidates, irrespective of their preference for a particular service/post, will have to appear in the same number of papers as mentioned in the scheme of examination (Appendix 1).[2]

3. (i) The candidates obtaining minimum marks in the preliminary examinations as may be fixed by the Commission in their discretion, shall be arranged in the order of marks obtained by them, Out of these candidates only about as many as equal to fifteen times at the most the total number of posts under various categories, will be deemed to qualify for the Main Examination and the results of the preliminary examination shall be announced accordingly. The list of candidates belonging to **Unreserved Category**, Scheduled Castes and Scheduled Tribes and OBC qualifying for main examination shall be separately prepared and their results announced accordingly. Preliminary Examination will only serve as a screening test for selecting candidates for the Main Examination and marks obtained in this examination will not be considered at the time of final selection of candidates.

(ii) The candidates who appear in the Main Examination and obtain such minimum marks as may be fixed by the Commission in their discretion, will be arranged in the order of total marks obtained by them in the Main Examination. Out of these candidates only about as many as equal three times the total number of posts under various services will be deemed to qualify for being called for interview. Similarly a separate list of candidates belonging to **Unreserved Category**, scheduled castes, scheduled tribes and OBC who qualify for being called for interview shall be prepared.

(iii) (a) After the interview the candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate of marks awarded to them in the Main Examination and the interview.

While recommending a candidate for a particular service, due consideration will be given to the preference, if any expressed by him/her in the application, subject to the following conditions :-

(1) If a candidate has not expressed any preference in the application, he will be considered for all posts in the order in which these have been enumerated in the advertisement.

(2) In case a candidate does not succeed in getting any of the posts of his preference, he will be considered on the basis of his aggregate of marks for other post (s) in the order in which these have been enumerated in the advertisement. However, he shall not be considered for any post (s) for which he has expressly indicated that he would not like to be considered for it.

(3) The above principles will also apply while preparing supplementary list.

(b)[1] Merit list for each post in the case of candidates belonging to scheduled castes, scheduled tribes and OBC will be similarly prepared separately, to the extent of reserved vacancies. In case a candidate belonging to scheduled castes or scheduled tribes or OBC by virtue of his aggregate of marks, finds place in the **unreserved** list, he shall be shown in the **unreserved** list and will not be counted against a reserved vacancy.

(iv) The Commission shall also prepare a supplementary list for each post to the extent of 25% of the total number of candidates figuring in the main list.

4. After receipt of the **recommendation** of the Commission, the Government shall make such enquiries about the candidate as it may deem

क्रमशः

fit in order to ensure that they are suitable in all respects for appointment to the posts concerned. The Government reserve the right to offer appointment to the candidates.

5. Eligibility conditions - (a) Nationality- The candidate must be a citizen of India.

(b) Minimum educational qualification - A candidate must hold a degree of any of the Universities incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other Educational Institution established by an Act of Parliament or declared to be deemed as a University under Section 3 of the University Grants Commission Act. 1956 or possess an equivalent qualification.

Note -I- Candidates who have appeared at an examination the passing of which would render them educationally qualified for the commission's examination but have not been informed of the results as also the candidates who intend to appear at such a qualifying examination will also be eligible for admission to the Preliminary Examination. It will be compulsory for all candidates who are declared qualified by the Commission for taking the State Services (Main) Examination to produce proof of passing the requisite examination with their application for the Main -Examination.

Note -II- Candidates possessing professional and technical qualifications which are recognized by the State Government as equivalent to professional and technical degree would also be eligible for admission to the examination.

(c) Age - (a) A candidate must have attained a minimum age of 21 years and must not have attained the maximum age of 30 years as on 1st January of the year of issuance of the advertisement. Provided that for candidates domicile/permanent residents of State of Chhattisgarh, the maximum age shall be extended to 35 years. [3]

Provided that the State Government may vary the lower and upper age limits for any of the services included in these Rules looking to the exigencies of the services.

(b) The upper age limit prescribed above will be relaxable :-

(i) up to a maximum of five years : if a candidate domiciled in Chhattisgarh belongs to a caste or tribe notified a scheduled caste or scheduled tribe or OBC by the Government of Chhattisgarh :-

(ii) up to a maximum of 3 years : If a candidate is a bonafide repatriate of Indian origin from :-

(1) Burma, who migrated to India on or after 1st June, 1963; or

(2) Srilanka, who migrated to India afer 1st November, 1964; or

(3) if the Candidate is a bonafide displaced person from East Pakistan (now Bangladesh) and had migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 25th March, 1971.

(iii) up to a maximum of 8 years : If the candidate repatriate or displaced person mentioned in (ii) supra belongs to scheduled caste, scheduled tribe or OBC as notified by Government of Chhattisgarh and domiciled in Chhattisgarh

(iv) up to a maximum of 5 years : if the candidate is a widow on her first appointment ;

(v) up to a maximum of 2 years : if the candidate holds a Green Card in his/her name under the Family Welfare Programme; [4] **(Deleted, As per Government of Chhattisgarh, General Administration Department vide Notification No 6-2/2014/1/3 Dated 10/10/2014.)**

(vi) up to a maximum of 5 years: if the candidate is a forward partner of a prize winning couple under Intercaste Marriage Scheme sponsored by the Tribal, Harijan and Backward Class Welfare Department as per GAD Memo No. C-1085-3-1, dated 3-9-1985;

(vii) Up to a maximum of 5 years: if the candidate is sports person honoured with the Shaheed Rajeev pandey Award or Gundadhur Samman or Maharaja Pravirchandra Bhanjdev Samman or Rashtriya Yuva awarded as per GAD memo No- F19-2/2005/1-3 Raipur dated 01-12-2006.

(viii) up to a maximum of 3 years : in the case of Defence Services personnel, disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof;

(ix) up to a maximum of 8 years " if the candidate filling under category (viii) supra belongs to the scheduled caste or the scheduled tribe or OBC ;

(x) up to a maxmmum of 3 years : in the case of a candidate who is a bonafide repatriate of Indian origin (Indian passport holder) from Vietnam as also a candidate holding emergency certificate issued to him by Indian Embassy in Vietnam and who arrived in India from Vietnam not earlier than July, 1975;

(xi) up to a maximum of 8 years : if the candidate falling under category (x) supra belongs to a scheduled caste or scheduled tribe or OBC :

(xii) up to a maximum of 5 years : in the case of Ex-servicemen and Commissioned Officers including ECOs/SSCOs who have rendered atleast five year Military Service as on 1st January Preceding date of Commencement of Examination and have been released on completion of assignment (including those whose assignment is due to be completed within six months form the said date) otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency or on account of physical disability attributable to Military Service or on invalidment;

(xiii) up to a maximum of 10 years : in case the candidate falling under category (xii) supra belongs to the scheduled caste or the scheduled tribe or OBC;

(xiv) up to maximum 10 years : for women candidate: As per Rajpatra (Asadharan) date 7.2.1997, Published rule C.G. civil service (Special provision of appointment for women) Rule 1997, 10 years age relaxation will be given to women candidate. [6]

(xv) [1] In case of the permanent/ Temporary employees of either of CG State Govt. or any undertaking of CG Govt. will be entitled the age relaxation up to 38 years.

N.B. - The term temporary Government servant includes a person borne on work-charged and contingency paid staff of the Chhattisgarh Government as per GAD memorandum No. 2998-Cr-444-1 (iii) -63, dated the 30th November 1963 . This concession will not be admissible if the candidates resign from service either before or after taking the examination. They will, however, continue to be eligible if they are retrenched from service or post after submitting their application.

(xvi) up to a maximum of 3 years : if the candidate is a retrenched Government servant, after deducting from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to maximum of seven years even if it represents more than one spell;

Explanation - The term retrenched Government servant denotes a person who was in temporary Government service of the State of Chhattisgarh or any of its constituent units for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of registration at the Employment Exchange or of application made otherwise for employment in Government service.

(xvii) up to a maximum of 5 years: if the candidate is a handicapped and applying to the service/posts class III and must

क्रमश:

have submitted his disability certificate of not less than 40% issued by the competent authority. [7]

(xviii) In accordance to general administration department's circular no. F 1-2/2002/1/3 dated 02/06/2004. Shiksha karmies of chhattisgarh state will be granted relaxation in maximum age limit for equal number of years for which they have worked as shiksha karmi. For calculation purpose the period of more than 6 months will be treated as one year. The benefit of this relaxation can be availed only up to 45 years.

Note:- In addition to the above mentioned provisions, the instructions issued from time to time by General Administration Department regarding age limit etc. shall be applicable at the time to recruitment to the State Civil Service.

6. Save as provided in Rule 5 (c), the age limits prescribed can in no case be relaxed. The candidates should note that the Commission shall accept only such date of birth as is recorded in the matriculation or secondary school examination certificate or certificate of a examination treated equivalent thereto. No other document relating to age like horoscopoe, affidavit, birth extracts from Municipal Corporation service records and the like will be accepted. Once a date of birth has been recorded in the application form, request for any change therein will not be considered under any circumstance.

7. **(a)** No male candidate who has more than one wife living or who having a wife living marriage in any case in which such marriage is void by reason of its taking place during the life time of such wife shall be eligible for appointment to any of the services appointment to which is made on the result of this examination unless the State Government after being satisfied that there are grounds for doing so exempt any male candidate from the operation of the Rule.

(b) No female candidate whose marriage is void by reason of the husband having a wife living at the time of such marriage or who has married a person who has a wife living at the time of such marriage shall be eligible for appointment to any of the services on the result of this examination, unless the State Government after being satisfied that there are special grounds for doing so exempt any female candidate from the operation of this Rule.

8. A candidate must be in a good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of his duties as an officer of the particular service. A candidate who after such medical examination as Government or the appointing authority, as the case may be, may prescribe, found not to safisfy these requirements will not be appointed. Only such candidates who are likely to be considered for appointment will be medically examined.

9. The Commission cannot advise candidates as to their eligibility for any particular service. It is for the candidates themselves to see whether they satisfy the prescribed requirement and whether it is worth their while to apply. However, the attention of the candidates are drawn to the physical standards laid down for certain services as given below. Before applying, the candidates should satisfy themselves that they fulfil the minimum requirements prescribed for such services.

MINIMUM STANDARD FOR HEIGHT AND CHEST GIRTH

S. No.	Name of Post	Height	Chest		Expansion
		Man	With out Exp.	With Exp.	
1	Dy. Superitendent of Police	168 c.m	84 c.m.	89 c.m.	5 c.m.
2	District Excise Officer	5'4"	31"	33"	-
3	Transport Sub-Inspector	165 c.m.	81.50 c.m.	-	-
4	Excise Sub-Inspector	165 c.m.	81 c.m.	85 c.m.	-
5	Assistant Jailor	1.65 m.	0.80 m.	-	-

10. The success in the examination confers no right to appointment unless the Government are satisfied after such inquiry as may be considered necessary that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

11. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final. No representation or correspondence shall be entertained on this point. The admission to the preliminary examination shall be provisional. If on verification at any later date it is found that a candidate does not fulfil all the eligibility conditions his candidature shall be cancelled. If any of his claims is found to be incorrect. he may render himself liable for disciplinary action by the Commission in terms of Rule 14 given below.

The mere fact that a certificate of admission to the examination has been issued to a candidate will not imply that his candidature has been finally cleared by the Commission or that the entries made by the candidate in his application for the preliminary examination have been accepted by the Commission as true and correct.

It may be noted that verification of eligibility condition of a candidate with reference to original documents would be taken up after the candidate has qualified for the Main Examination and unless the candidature is finally confirmed by the Commission, it would continue to be provisional.

12. No candidate shall be admitted either to preliminary examination or main examination unless he /she holds a certificate of admission issued by the Commission.

13. (i) The candidates claiming any relaxation in age or any other concession must attach with their application forms appropriate certificate in original issued by the competent authority. In absence of such certificates they will not be entitled to be considered for any relaxation concession.

(ii) A candidate claiming age concession as retrenched Government servant of Chhattisgarh should produce in original a certificate from the Head of the Department or Office from where the candidate was retrenched stating the designation of each post held by him, the date of appointment and leaving in respect of each post and also certifying that he was discharged because of reduction in establishment. He should also produce an attested copy of the certificate of his registration at the Employment Exchange if any.

(iii) A candidate claiming age concession as an ex-serviceman should produce in original a certificate from his last Ministry/Office indicating the dates of commencement and discharge in respect of his defence service, and that he was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economic Unit or due to normal reduction in establishment as the case may be. He should also produce an attested copy of his registration at the Employmnet Exchange, if any.

14. A candidate who is or has been found by the Commission to be guilty of :-

(i) obtaining support for his candidature whether in the written examinations or interviews by any means; or

(ii) impersonating; or

(iii) procuring impersonation by any person; or

(iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with; or

(v) making statements which are incorrect or false or suppressing material information at any stage of selection. ; or

(vi) resorting to any other irregular or improper means for obtaining admission to the examination;or

क्रमशः

(vii) using or attempting to use unfair means in the examination hall; or

(viii) harassing, threatening or doing bodily harm to the staff employed for the conduct of examination; or

(ix) violating any of the instructions issued to the candidates alongwith their admission certificate or other instructions including oral instruction given by the centre supervisor or other staff engaged for conduct of examination; or.

(x) misbehaving in any other manner in the examination hall or in the interview, any in addition to rendering himself liable to criminal prosecution,be liable.

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate; and / or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period.

(i) by the Commission from any examination or selection held by them.

(ii) by the State Government from employment under; and

(c) if he is already in service under Government, to a disciplinary action under appropriate rules :

Provided that no penalty under this rule shall be imposed except after -

(i) giving the candidate an apportunity of making such representation in writing as he may wish to make in that behalf, and

(ii) taking the representation, if any submitted by the candidate within the period allowed to him into consideration.

15. [1] The online applications received after due date and time will not be entertained.

16. The Commission reserve the right to allocate centre for examination to the candidate keeping in view the preference recorded in the appliation form. No application for change of centre or any other entries in the application form shall be entertained.

17. [1] Eliminate the sub rule 17.

18. The Commission shall not supply mark sheets in respect of preliminary examination as it is only a screening test. As such no correspondence will be entertained in this connection . However, the mark sheets of the Main Examination will be sent to the candidates after publication of final results.

19. The Commission do not defray the travelling or other expenses of candidates called for written test of viva-voce. Candidates belonging to a caste or tribe or OBC notified for Chhattisgarh as a scheduled caste or scheduled tribe or OBC and domiciled in Chhattisgarh, who are not already in service will, however, be paid travelling allowance as per Finance Department memo No. 2030-VI -R-II, dated the 22nd June 1963. The bill forms will be available at the respective centres of examination and viva-voce. Payment will be made after verification that the candidate had actually taken the test.

20. The candidates finally selected for a particular service will have to undergo such training and pass such departmental examination as may be prescribed by the Government. they will be required to serve at any place in Chhattisgarh and should be able to take immediately an appointment when offered. Candidates selected by the Commission for appointment as Deputy Superintendent of Police will have to execute a bond to serve the State for a period not less than three years as Deputy Superintendent of Police or in other similar capacity as the State Government may desire.

21. Repeal and Saveing - All rules corresponding to these rules and in force immediately before their commencement are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or action taken under the Rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

XAVIER TIGGA, Deputy Secretary

1 Amendment, As per Government of Chhattisgarh, General Administration Department vide Notification No. F 6-3/2008/1/One, Dated 23/12/2011.

* Amended Notification No. F 6-3/2008/1/One, Dated 24.12.2012,

2 Amendment, As per Government of Chhattisgarh, General Administration Department vide Notification No. F 6-3/2008/1/One, Dated 02/03/2013.

* Amended Notification No. F 6-3/2008/1/One (Part-2), Dated 27.07.2013,

3 Amendment, As per Government of Chhattisgarh, General Administration Department vide Notification No. F 6-3/2008/1/One, Dated 17/12/2013.

4 Deleted, As per Government of Chhattisgarh, General Administration Department vide Notification No 6-2/2014/1/3 Dated 10/10/2014.

5 Amendment, As per Government of Chhattisgarh, General Administration Department vide Notification No. F 6-3/2008/1/One, Dated 20/11/2015.

6 Amendment, As per Government of Chhattisgarh, General Administration Department vide Notification No. 3-1/2016/1-3, Dated 11/01/2017.

7 Amendment, As per Government of Chhattisgarh, General Administration Department vide Notification No. F 20-4/2014/Aa.Pr./1-3, Dated 27/09/2014.

8 Amendment, As per Government of Chhattisgarh, General Administration Department vide Notification No. F 6-3/2008/1/One, Dated 05/12/2018.

9 Amendment, As per Government of Chhattisgarh, General Administration Department vide Notification No. F 6-3/2008/1/One, Dated 05/07/2019.

परिशिष्ट - एक[8]

:: परीक्षा योजना ::

राज्य सेवा परीक्षा

1. प्रारंभिक परीक्षा – (वस्तुनिष्ठ प्रकार)

प्रारंभिक परीक्षा में 2:00 घंटे की अवधि के 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र होंगे। दोनों प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type) के बहुविकल्पीय (Multipile Choice) के होंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में 4 विकल्प (Four Choice) होंगे, जिनमें से सही उत्तर की पहचान करनी होगी। गलत उत्तर देने पर नकारात्मक अंक भी दिये जायेंगे।

- **प्रथम प्रश्न–पत्र**–सामान्य अध्ययन (प्रश्न 100, अंक 200, समय 2:00 घंटे)। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए सही उत्तर हेतु निर्धारित अंक का 1/3 अंक काटे जायेंगे।
- **द्वितीय प्रश्न–पत्र**–योग्यता परीक्षा (प्रश्न 100, अंक 200, समय 2:00 घंटे)। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए सही उत्तर हेतु निर्धारित अंक का 1/3 अंक काटे जायेंगे।

न्यूनतम अर्हता अंक – प्रत्येक प्रश्न–पत्र में **अनारक्षित वर्ग के** अभ्यर्थी को न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक तथा **आरक्षित वर्ग के** अभ्यर्थियों को न्यूनतम 23 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र–योग्यता परीक्षा, अर्हकारी प्रकृति की होगी। इस प्रश्न पत्र में अभिप्राप्त अंकों को, मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों के चयन के लिए प्रावीण्य सूची तैयार करते समय नहीं जोड़ा जायेगा। प्रथम प्रश्न पत्र–सामान्य अध्ययन की प्रावीण्य सूची के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।

2. मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार –

परीक्षा योजना

लिखित परीक्षा – (परम्परागत प्रकार)

स.क्र.	प्रश्न पत्र का नाम	प्रश्न पत्र की अवधि	कुल अंक	रिमार्क
1	प्रश्न पत्र– 01 भाषा	03 घंटा	200	
2	प्रश्न पत्र– 02 निबंध	03 घंटा	200	अभ्यर्थी को प्रत्येक खंड से दो कुल चार विभिन्न विषयों पर निबंध लिखने होंगे।
3	प्रश्न पत्र– 03 सामान्य अध्ययन–I	03 घंटा	200	
4	प्रश्न पत्र– 04 सामान्य अध्ययन–II	03 घंटा	200	
5	प्रश्न पत्र– 05 सामान्य अध्ययन–III	03 घंटा	200	
6	प्रश्न पत्र– 06 सामान्य अध्ययन–IV	03 घंटा	200	
7	प्रश्न पत्र– 07 सामान्य अध्ययन–V	03 घंटा	200	
		कुल अंक	1400	
8	साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण		100	
		कुल अंक	1500	

- मुख्य परीक्षा के प्रश्न–पत्र परम्परागत प्रकार के (Conventional Type) लघु/मध्यम/दीर्घ उत्तरीय होंगे।
- प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए चिन्हांकित अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के सभी सात प्रश्न पत्रों में सम्मिलित होना होगा। मुख्य परीक्षा के आधार पर साक्षात्कार हेतु चिन्हांकित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में अनिवार्यतः सम्मिलित होना होगा। मुख्य परीक्षा के किसी भी प्रश्न–पत्र में एवं साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी अनर्ह होंगे।
- प्रथम प्रश्न पत्र भाषा को छोड़कर अन्य सभी प्रश्न पत्रों का उत्तर अभ्यर्थी द्वारा इच्छानुसार केवल हिन्दी अथवा अंग्रेजी में दिया जाएगा, परंतु किसी प्रश्न पत्र में उत्तर हिन्दी एवं अंग्रेजी में अंशतः नहीं दिया जाएगा।
- प्रश्न पत्र–02 (निबंध) में दो भाग होंगे 1. अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर की मुद्दे, 2. छत्तीसगढ़ राज्य के मुद्दे। अभ्यर्थी को प्रत्येक भाग से चार विकल्प दिये जाएंगे, जिनमें से दो–दो विकल्प पर समस्या– समाधान (कारण, वर्तमान स्थिति आंकड़ों सहित एवं समाधान) पर लगभग 750–750 शब्दों में निबंध लिखना होगा।
- **मुख्य परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र क्रमांक 03 से 07 में निम्नानुसार प्रश्न होंगे :–**

खण्ड 01–

इस खण्ड के अंतर्गत संबंधित प्रश्नपत्र के पाठ्यक्रम के विभिन्न भागों से कुल 22 प्रश्न दिए जायेंगे, सभी प्रश्नों का उत्तर देना होगा। प्रत्येक प्रश्न हेतु 02 अंक होगा। इस तरह इस खण्ड के लिए अधिकतम 44 अंक होंगे। (प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की शब्द सीमा लगभग – 30)

खण्ड 02–

इस खण्ड के अंतर्गत संबंधित प्रश्नपत्र के पाठ्यकम के विभिन्न भागों से कुल 13 प्रश्न दिए जायेंगे, सभी प्रश्नों का उत्तर देना होगा। प्रत्येक प्रश्न हेतु 4 अंक होगा। इस प्रकार इस खण्ड के लिए अधिकतम 52 अंक होंगे। (प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की शब्द सीमा लगभग – 60)

खण्ड 03–

इस खण्ड के अंतर्गत संबंधित प्रश्नपत्र के पाठ्यकम के विभिन्न भागों से कुल 08 प्रश्न दिए जायेंगे, सभी प्रश्नों का उत्तर देना होगा। प्रत्येक प्रश्न हेतु 8 अंक होगा। इस प्रकार इस खण्ड के लिए अधिकतम 64 अंक होंगे। (प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की शब्द सीमा लगभग – 100)

खण्ड 04–

इस खण्ड के अंतर्गत संबंधित प्रश्नपत्र के पाठ्यकम के भाग–02 से कुल 02 प्रश्न दिए जायेंगे, जिसमें से अभ्यर्थी को केवल 01 प्रश्न का ही उत्तर देना होगा। इस खण्ड के लिए अधिकतम 10 अंक होंगे। (प्रश्न के उत्तर की शब्द सीमा लगभग – 125)

खण्ड 05–

इस खण्ड के अंतर्गत संबंधित प्रश्नपत्र के पाठ्यक्रम के भाग–01 एवं भाग–03 से क्रमशः 02–02 प्रश्न दिए जायेंगे, जिसमें से अभ्यर्थी को भागवार केवल 01–01 प्रश्न का ही उत्तर देना होगा। प्रत्येक प्रश्न हेतु 15 अंक होगा। इस प्रकार इस खण्ड के लिए अधिकतम 30 अंक होंगे। (प्रश्न के उत्तर की शब्द सीमा लगभग – 175)

(03)चयन प्रक्रिया आयोग के प्रक्रिया नियम–2014 (यथा संशोधित) के अनुसार प्रावधानित होगी।

8 छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 6–3/2008/1(एक) दिनांक 13/02/2019 द्वारा संशोधित।

ANNEXURE -I[8]

EXAMINATION SCHEME

STATE SERVICE EXAMINATION

1. **Preliminary Examination - (Objective Type)**
In the Preliminary Examinations there will be 2 compulsory papers of 02 hours duration each. Both the question papers will have objective type multiple choice questions. There will be four choices of answers for each question out of which one is to be selected.There will be negative marking for wrong answer

- **First Question Paper-** General Studies (Question 100, Marks 200, Duration 2.00 Hours). for each wrong answer 1/3 marks of marks of correct answer will be deducted.
- **Second Question Paper-** Aptitude Test (Question 100, Marks 200, Duration 2.00 Hours) for each wrong answer 1/3 marks of marks of correct answer will be deducted.

Minimum Qualifying Marks- In each Question paper essential qualifying marks for unreserved category will be 33%, and 23% for reserved categories. Second Question Paper - Eligibility Examination shall be of qualifying nature. Marks obtained in this question paper shall not be added while preparing merit list for short listing of candidates for Main Examination. Candidates shall be selected for Main Examination on the basis of merit list of First Question Paper - General Studies.

2. **Mains Examination and Interview -**

EXAMINATION SCHEME
Written Examination (Conventional Type)

SN	Name of Question Paper	Duration	Total Marks	Remark
1	2	3	4	5
1.	**Paper-I** Language	3 Hours	200	
2.	**Paper-II** Essay	3 Hours	200	Candidates should write four Essays Two from each section compulsorily.
3.	**Paper-III** General Studies -I	3 Hours	200	
4.	**Paper-IV** General Studies -II	3 Hours	200	
5.	**Paper-V** General Studies -III	3 Hours	200	
6.	**Paper-VI** General Studies -IV	3 Hours	200	
7.	**Paper-VII** General Studies -V	3 Hours	200	
	Total Marks		**1400**	
8.	**Interview/ Personality Test**		**100**	
	Grand Total Marks		**1500**	

- Question papers for Main Examination will be of Conventional nature i.e.: Short/Medium/Long answers Type
- Candidates short listed for the Main Examination on the basis of Preliminary Examination (Screening Test) must appear for all the seven papers in Main Examination. Candidates selected for the Interview on the basis of Main Examination must appear in the Interview. Absence in any paper of Main Examination and Interview will be liable for disqualification.
- All the question papers except first -"Language" may be answered in Hindi or English chosen by the candidates. However a candidate will not be permitted to write part of the paper in Hindi and part of it in English
- **Paper II - Essay -**
There will be two sections in this paper. 1. Inertnational and National level Issues 2. Chhattisgarh State Issues. The Candidates will be given four options in each section and will have to write on two options from each section, the problem-solution (reason, present status including data and solution). They will have to write the essay of 750-750 words on the given subject.
- **Paper 03 to 07 will contain the question as given below:-**

Section 01-
In this section there will be 22 compulsory questions from various parts of the syllabus of the paper concerned. Each question will carry 02 marks. Thus the maximum marks in this section will be 44. (Word limit for answer of each question - about 30)

Section 02- In this section there will be 13 compulsory questions from various parts of the syllabus of the paper concerned. Each question will carry 04 marks. Thus the maximum marks in this section will be 52. (Word limit for answer of each question - about 60)

Section 03- In this section there will be 08 compulsory questions from various parts of the syllabus of the paper concerned. Each question will carry 08 marks. Thus the maximum marks in this section will be 64. (Word limit for answer of each question - about 100)

Section 04- In this section total 02 questions will be given from part- 02 of the syllabus of the paper concerned. Out of which 01 question will have to be solved. The question will carry 10 marks. Thus the maximum marks in this section will be 10. (Word limit for answer of each question - about 125)

Section 05-
In this section there will be respectively 02-02 questions from Part-01 & Part-03 of syllabus of concern question paper, Out of which candidate have to attempt respectively 01-01 question partwise. Each question will carry 15 marks. Thus the maximum marks for this section will be 30. (Word limit for answer of the question - about 175)

(3) The selection process will be provisioned by C.G.PSC Selection Process Rule 2014 (As Amended)

8 Amendment, As per Government of Chhattisgarh, General Administration Department vide Notification No. F 6-3/2008/1/One, Dated 13/02/2019.

परिशिष्ट-दो

:: राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा ::

प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रश्नपत्रवार निम्नानुसार होगा–
(प्रश्न पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी में होंगे, किसी भी शब्द/वाक्य में भाषा विवाद की स्थिति में हिन्दी भाषा में लिखे शब्द/वाक्य को आधार माना जायेगा)

प्रश्नपत्र 1 सामान्य अध्ययन
(प्रश्न 100, अंक 200) अवधिः 2:00 घंटा

• भाग 1 तथा भाग 2 से 50–50 प्रश्न दिये जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 02 अंकों का होगा, प्रत्येक सही उत्तर हेतु 02 अंक दिये जायेंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर हेतु सही उत्तर के लिए निर्धारित अंक का 1/3 अंक काटे जायेंगे।

भाग 1 – सामान्य अध्ययन :–

1. भारत का इतिहास एवं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन।
2. भारत का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल।
3. भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था।
4. भारत की अर्थव्यवस्था।
5. सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी।
6. भारतीय दर्शन, कला साहित्य एवं संस्कृति।
7. समसामयिक घटनाएं एवं खेल।
8. पर्यावरण।

भाग 2 – छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान :–

1. छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान।
2. छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केन्द्र।
3. छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य , कला एवं संस्कृति, जनऊला, मुहावरे, हाना एवं लोकोत्तियां।
4. छत्तीसगढ़ की जनजातियां, विशेष परंपराएं, तीज एवं त्यौहार।
5. छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि।
6. छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज।
7. छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन।
8. छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं।

प्रश्नपत्र 2
योग्यता परीक्षा (प्रश्न 100, अंक 200) अवधिः 2:00 घंटा

• प्रत्येक प्रश्न 02 अंकों का होगा, प्रत्येक सही उत्तर हेतु 02 अंक दिये जायेंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर हेतु सही उत्तर के लिए निर्धारित अंक का 1/3 अंक काटे जायेंगे।

1. संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल।
2. तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता।
3. निर्णय – निर्माण और समस्या निवारण।
4. सामान्य मानसिक योग्यता।
5. मूल संख्यात्मक कार्य (सामान्य गणितीय कौशल) (स्तर–कक्षा दसवीं), आंकड़ों की व्याख्या (चार्ट, रेखांकन, तालिकाएं, आंकड़ों की पर्याप्तता इत्यादि) (स्तर–कक्षा दसवीं)।
6. हिन्दी भाषा ज्ञान (स्तर–कक्षा दसवीं)।
7. छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान।

हिन्दी भाषा ज्ञान और छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित प्रश्न उसी भाषा में होंगे, इनका अनुवाद उपलब्ध नहीं होगा।

ANNEXURE-II

"State Service Preliminary Examination"

The paper wise syllabi of the **Preliminary Examination** is as following (The question paper will be in Hindi and English both. In case of any doubt the Hindi version will prevail.)

Question Paper 1 General Studies
(Questions 100, Marks 200), Time : 2 hours

• (There shall be 50 Questions from Part-'1' & Part-'2' each. Each Question will cary 2 marks) 02 Marks will be awarded for each right answer and for each wrong answer 1/3 marks of marks of correct answer will be deducted.

PART- 1- General Studies: -

1. History of India and Indian National Movement.
2. Physical, Social & Economic Geography of India.
3. Constitution of India & Polity.
4. Indian Economy.
5. General Science & Techonlogy.
6. Indian Philosphy, Art, Litereture & Culture.
7. Current Affairs & Sports.
8. Environment.

PART-2- GENERAL KNOWLEDGE OF CHHATTISGARH

1. History of Chhattisgarh, & Contribution of Chhattisgarh in Freedom Movement.
2. Geography, Climate, Physical status, Census, Archeological and Tourist Centres of Chhattisgarh.
3. Litrature, Music, Dance, Art and Culture, Idioms and Proverbs, Puzzle/riddle (जनऊला), Singing (हाना) of Chhattisgarh.
4. Tribes, Special Traditions, Teej and Festivals of Chhattisgarh.
5. Economy, Forest and Agriculture of Chhattisgarh.
6. Administrative Structure, Local Government and Panchayatiraj of Chhattisgarh.
7. Industry in Chhattisgarh, Energy, Water and Mineral Resource of Chhattisgarh.
8. Current Affairs of Chhattisgarh.

Question Paper 2
Aptitude Test (Questions 100, Marks 200), Time :2 hours.

02 marks will be awarded for each right answer and for each wrong answer 1/3 marks of marks of correct answer will be deducted.

1. Interpersonal skills including communication skills;
2. Logical reasoning and analytical ability
3. Decision making and problem solving
4. General mental ability
5. Basic numeracy (general mathematical skill) (Class X level), Data interpretation (charts, graphs, tables, data sufficiency etc. -Class X level)
6. Knowledge of Hindi Language (Class X level).
7. Knowledge of Chhattisgarhi Language.

Knowledge of Hindi Language and Chhattisgarhi Language will be tested in Hindi and Chhattisgarhi Language only, without providing translation.

परिशिष्ट - तीन

:: पाठ्यक्रम ::
राज्य सेवा मुख्य परीक्षा

प्रश्न–पत्र 01
भाषा
(अंकः 200, अवधिः 3:00 घंटा)

भाग–1 सामान्य हिन्दीः–

भाषा–बोध, संक्षिप्त लेखन, पर्यायवाची एवं विलोम शब्द, समोच्चरित शब्दों के अर्थ भेद, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, संधि एवं संधि– विच्छेद, सामासिक पदरचना एवं समास–विग्रह, तत्सम एवं तद्भव शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, उपसर्ग एवं प्रत्यय, मुहावरें एवं लोकोक्ति (अर्थ एवं प्रयोग), पत्र लेखन। हिन्दी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन एवं नामकरण, छत्तीसगढ़ के साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं। अपठित गद्यांश, शब्द युग्म, प्रारूप लेखन, विज्ञापन, प्रपत्र, परिपत्र, पृष्ठांकन, अधिसूचना, टिप्पणी लेखन, शासकीय, अर्धशासकीय पत्र, प्रतिवेदन, पत्रकारिता, अनुवाद (हिन्दी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिन्दी)

भाग–2 General English:-

Comprehension, Precis Writing, Re arrangement and Correction of Sentences, Synonyms, Antonyms, Filling the Blanks, Correction of Spellings, Vocabulary and usage, Idioms and Phrases, Tenses, Prepositions, Active Voice and Passive voice, Parts of Speech.

भाग–3 छत्तीसगढ़ी भाषाः–

छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान, छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास एवं इतिहास, छत्तीसगढ़ी भाषा का साहित्य एवं प्रमुख साहित्यकार, छत्तीसगढ़ी का व्याकरण, शब्द साधन–संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वाच्य, अव्यय (क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक) कारक, काल, लिंग, वचन, शब्द रचना की विधियॉं, उपसर्ग, प्रत्यय संधि (अ) हिन्दी में संधि, (ब) छत्तीसगढ़ी में संधि, समास, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग, छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास में समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, आकाशवाणी व सिनेमा की भूमिका, लोकव्यवहार में छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी भाषा का सामान्य परिचय–नामकरण, छत्तीसगढ़ी भाषा का परिचय, छत्तीसगढ़ी में क्रियाओं में वर्तमान, भूत तथा पूर्ण+अपूर्ण वर्तमान भविष्य काल के रूप, काल, लिखना–क्रिया के भूतकाल के रूप, पूर्ण+अपूर्ण भूतकाल, पढ़ना–क्रिया के भविष्यकाल के रूप, पूर्ण+अपूर्ण भविष्यकाल, पाद–टिप्पणी।

प्रश्न–पत्र 02
निबंध
(अंकः 200, अवधिः 3:00 घंटा)

भाग–1 अंर्तराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के मुद्देः–

अभ्यर्थी को कुल दो मुद्दे पर निबंध (कारण, वर्तमान स्थिति आंकड़ों सहित एवं समाधान) लिखना होगा। इस भाग से चार मुद्दे दी जायेंगी जिनमें से दो मुद्दों पर लगभग 750–750 शब्दों में निबंध लिखना होगा। इस भाग के प्रत्येक मुद्दे हेतु अधिकतम 50 अंक होंगे।

भाग–2 छत्तीसगढ़ राज्य स्तर के मुद्देः–

अभ्यर्थी को कुल दो मुद्दे पर निबंध (कारण, वर्तमान स्थिति आंकड़ों सहित एवं समाधान) लिखना होगा। इस भाग से चार मुद्दे दी जायेंगी जिनमें से दो मुद्दों पर लगभग 750–750 शब्दों में निबंध लिखना होगा। इस भाग के प्रत्येक मुद्दे हेतु अधिकतम 50 अंक होंगे।

प्रश्न–पत्र 03
सामान्य अध्ययन – I
(अंकः 200, अवधिः 3:00 घंटा)

भाग–1 भारत का इतिहासः–

प्रागैतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म, मगध साम्राज्य का उदय, मौर्य–राजनय तथा अर्थव्यवस्था, शुंग, सातवाहन काल, गुप्त साम्राज्य, गुप्त–वाकाटक काल में कला, स्थापत्य, साहित्य तथा विज्ञान का विकास, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। मध्यकालीन भारतीय इतिहास, सल्तनत एवं मुगल काल, विजय नगर राज्य, भक्ति आन्दोलन, सूफीवाद, क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्य का विकास, मराठों का अभ्युदय, यूरोपियनों का आगमन तथा ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित होने के कारक, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार–युद्ध एवं कूटनीति, ग्रामीण अर्थव्यवस्था–कृषि, भू–राजस्व व्यवस्था–स्थाई बंदोबस्त, रैय्यतवाड़ी, महालवाड़ी, हस्तशिल्प उद्योगों का पतन, ईस्ट इंडिया कम्पनी के रियासतों के साथ संबंध, प्रशासनिक संरचना में परिवर्तन, 1858 के पश्चात् नगरीय अर्थव्यवस्था–रेलों का विकास, औद्योगीकरण, संवैधानिक विकास। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन–ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, राष्ट्रवाद का उदय, 1857 की क्रांति, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, बंगाल का विभाजन और स्वदेशी आन्दोलन, साम्प्रदायिकता का उदय एवं विकास, क्रांतिकारी आन्दोलन, होमरूल आन्दोलन, गांधीवादी आन्दोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, मजदूर किसान एवं आदिवासी आंदोलन, दलितों में सुधार आंदोलन, मुस्लिमों में सुधार, अलीगढ़ आंदोलन, आज़ाद हिन्द फौज, स्वतंत्रता और भारत का विभाजन, रियासतों का विलीनीकरण।

भाग–2 संविधान एवं लोकप्रशासनः–

भारत का संविधानिक विकास (1773–1950), संविधान का निर्माण एवं मूल विशेषताएं, प्रस्तावना, संविधान की प्रकृति, मूलभूत अधिकार और कर्तव्य, राज्य नीति के निर्देशक तत्व; संघीय कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। संविधानिक उपचार का अधिकार, जनहित याचिकाएं, न्यायिक सक्रियता, न्यायिक पुनर्विलोकन, महान्यायवादी। राज्य कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, महाधिवक्ता। संघ राज्य संबंध–विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय। अखिल भारतीय सेवाएं, संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग। आपात् उपबंध, संविधानिक संशोधन, आधारभूत ढांचे की अवधारणा। छत्तीसगढ़ शासन–व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लोक प्रशासन–अर्थ, क्षेत्र, प्रकृति और महत्व। उदारीकरण के अधीन लोक प्रशासन और निजी प्रशासन। नवीन लोक प्रशासन, विकास प्रशासन व तुलनात्मक लोक प्रशासन। लोक प्रशासन में नए आयाम। राज्य बनाम बाजार। विधि का शासन। संगठन – सिद्धान्त, उपागम, संरचना। प्रबंध – नेतृत्व, नीति निर्धारण, निर्णय निर्माण। प्रशासनिक प्रबंध के उपकरण– समन्वय, प्रत्यायोजन, संचार, पर्यवेक्षण, अभिप्रेरणा। प्रशासनिक सुधार, सुशासन, ई–गवर्नेस, नौकरशाही। जिला प्रशासन। भारत में प्रशासन पर नियन्त्रण – संसदीय, वित्तीय, न्यायिक एवं कार्यपालिक। लोकपाल एवं लोक आयुक्त। सूचना का अधिकार। पंचायत एवं नगरपालिकाएं। संसदीय–अध्यक्षात्मक, एकात्मक–संघात्मक शासन। शक्ति पृथक्करण का सिद्धान्त। छत्तीसगढ. का प्रशासनिक ढांचा।

भाग–3 छत्तीसगढ़ का इतिहासः–

प्रागैतिहासिक काल, छत्तीसगढ़ का इतिहास – वैदिक युग से गुप्त काल तक, प्रमुख राजवंश राजर्शितुल्य कुल, नल, शरभपुरीय, पांडु, सोमवंशी इत्यादि, कल्चुरी एवं उनका प्रशासन, मराठों के अधीन छत्तीसगढ़, ब्रिटिश

क्रमशः

संरक्षण में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की पूर्व रियासतें और जमीन्दारियां। सामन्ती राज, 1857 की क्रांति, छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता आन्दोलन, श्रमिक, कृषक एवं जनजातीय आंदोलन, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण।

प्रश्न–पत्र 04
सामान्य अध्ययन – II
(अंकः 200, अवधिः 3:00 घंटा)

भाग–1 सामान्य विज्ञानः–

रसायन– रासायनिक अभिक्रिया की दर एवं रासायनिक साम्य–रासायनिक अभिक्रिया की दर का प्रारंभिक ज्ञान, तीव्र एवं मंद रासायनिक अभिक्रियाएं, धातुएं– आवर्त सारिणी में धातुओं की स्थिति एवं सामान्य गुण, धातु, खनिज अयस्क, खनिज एवं अयस्क में अंतर। धातुकर्म– अयस्कों का सांद्रण, निस्तापन, भर्जन, प्रगलन एवं शोधन, कॉपर एवं आयरन का धातुकर्म, धातुओं का संक्षारण, मिश्र धातुएं। अधातुएं– आवर्त सारणी में अधातुओं की स्थिति एवं सामान्य गुण, कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक, कुछ सामान्य कृत्रिम बहुलक, पॉलीथीन, पाली विनाइल क्लोराइड, टेफ्लान, साबुन एवं अपमार्जक। भौतिक शास्त्र– प्रकाश–प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम, समतल एवं वक्र सतह से परावर्तन, समतल, उत्तल एवं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिम्ब रचना, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, गैसों में विद्युत विसर्जन, सूर्य में ऊर्जा उत्पत्ति के कारण, विद्युत और इसके प्रभाव–विद्युत तीव्रता, विभव–विभवान्तर, विद्युत धारा, ओह्म का नियम, प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, प्रभावित करने वाले कारक, प्रतिरोधों का संयोजन एवं इसके आंकिक प्रश्न, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, इसकी उपयोगिता, शक्ति एवं विद्युत ऊर्जा व्यय की गणना (आंकिक) विद्युत प्रयोग में रखी जाने वाली सावधानियां, प्रकाश विद्युत प्रभाव, सोलर सेल, संरचना, P-N संधि, डायोड, जीवविज्ञान– परिवहन–पौधों में जल एवं खनिज लवण का परिवहन, जन्तुओं में परिवहन (मानव के संदर्भ में) रुधिर की संरचना तथा कार्य, हृदय की संरचना तथा कार्यविधि (प्राथमिक ज्ञान) प्रकाश–संश्लेषण– परिभाषा, प्रकिया के प्रमुख पद, प्रकाश अभिकिया एवं अंधकार अभिकिया। श्वसन–परिभाषा, श्वसन एवं श्वासोच्छवास, श्वसन के प्रकार, आक्सी श्वसन एवं अनाक्सी श्वसन, मनुष्य का श्वसन तंत्र एवं श्वसन प्रकिया। मनुष्य का पाचन तंत्र एवं पाचन प्रकिया (सामान्य जानकारी) नियंत्रण एवं समन्वय– मनुष्य का तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क एवं मेरुरज्जू की संरचना एवं कार्य, पौधे एवं जन्तुओं में. समन्वय पादप हार्मोन, अन्तः–स्त्रावीग्रंन्थियां हार्मोन एवं कार्य। प्रजनन एवं वृद्धि– प्रजनन के प्रकार, अलैंगिक प्रजनन, विखण्डन, मुकलन एवं पुनरुदभवन, कृत्रिम वर्धी प्रजनन, स्तरीकरण, कलम लगाना, ग्राफ्टिंग, अनिषेक प्रजनन, पौधों में लैंगिक प्रजनन अंग, पुष्प की संरचना एवं प्रजनन प्रकिया (सामान्य जानकारी) परागण, निषेचन। मानव प्रजनन तंत्र तथा प्रजनन प्रकिया (सामान्य जानकारी) अनुवांशिकी एवं विकास–अनुवांशिकी एवं भिन्नताएं, अनुवांशिकता का मूल आधार गुण सूत्र एवं DNA (प्रारंभिक जानकारी)।

भाग–2 योग्यता परीक्षण, तार्किक योग्यता एवं बुद्धिमता परीक्षणः–

परिमेय संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना, 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। अनुपात एवं समानुपात– अनुपात व समानुपात की परिभाषा, योगानुपात, अंतरानुपात, एकांतरानुपात, व्युत्क्रमानुपात आदि व उनके अनुप्रयोग। वाणिज्य गणित – बैंकिंग–बचत खाता, सावधि जमा खाता एवं आवर्ति जमा खाता पर ब्याज की गणना। आयकर की गणना (केवल वेतनभोगी के लिए तथा गृह भाड़ा भत्ता को छोड़कर) गुणनखंड, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्त्य। वैदिक गणित– जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, बीजांक से उत्तर की जांच। वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, विकुलम एवं उसके अनुप्रयोग तथा बीजगणित में वैदिक गणित विधियों का प्रयोग आदि। भारतीय गणितज्ञ एवं उनका कृतित्व–आर्यभट्ट, वराह मिहिर, ब्रहमगुप्त, भास्कराचार्य, श्रीनिवास रामानुजन के संदर्भ में। गणितीय संक्रियाएं, मूल संख्यात्मक कार्य (संख्या और उनके संबंध आदि, परिमाण क्रम इत्यादि), आंकड़ों की व्याख्या (चार्ट, रेखांकन, तालिकाएं, आंकड़ों की पर्याप्तता इत्यादि)एवं आंकड़ों का विश्लेषण, सामान्तर माध्य, माध्यिका, बहुलक, प्रायिकता, प्रायिकता के जोड़ एवं गुणा प्रमेय पर आधारित प्रश्न, व्यवहारिक गणित – लाभ हानि, प्रतिशत, ब्याज एवं औसत। समय, गति, दूरी, नदी, नाव। सादृश्य (संबंधात्मक) परीक्षण, विषम शब्द, शब्दों का विषम जोड़ा, सांकेतिक भाषा परीक्षण, संबंधी परीक्षण, वर्णमाला परीक्षण, शब्दों का तार्किक विश्लेषण, छूटे हुए अंक या शब्द की प्रविष्टि, कथन एवं कारण, स्थिति प्रतिक्रिया परीक्षण, आकृति श्रेणी, तथ्यों का लुप्त होना, सामान्य मानसिक योग्यता।

भाग–3 एप्लाईड एवं व्यवहारिक विज्ञानः–

ग्रामीण भारत में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका, कम्प्यूटर का आधारभूत ज्ञान, संचार एवं प्रसारण में कम्प्यूटर, आर्थिक वृद्धि हेतु सॉफ्टवेयर का विकास, आई.टी. के वृहद अनुप्रयोग। उर्जा संसाधन–उर्जा की मांग, नवीनीकृत एवं अनवीनीकृत उर्जा के स्त्रोत, नाभिकीय उर्जा का देश में विकास एवं उपयोगिता। भारत में वर्तमान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास, कृषि का उदभव, कृषि विज्ञान में प्रगति एवं उसके प्रभाव, भारत में फसल विज्ञान, उर्वरक, कीट नियंत्रण एवं भारत में रोगों का परिदृश्य। जैव विविधता एवं उसका संरक्षण– सामान्य परिचय–परिभाषा, अनुवांशिक प्रजाति एवं पारिस्थितिक तंत्रीय विविधता। भारत का जैव–भौगोलिक वर्गीकरण। जैव विविधता का महत्व–विनाशकारी उपयोग उत्पादक उपयोग, सामाजिक, नैतिक, वैकल्पिक दृष्टि से महत्व। विश्व स्तरीय जैव विविधता, राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर की जैव विविधता। भारत एक वृहद् विविधता वाले राष्ट्र के रुप में। जैव विविधता के तप्त स्थल। जैव विविधता को क्षति–आवासीय, क्षति, वन्य जीवन को क्षति, मानव एवं वन्य जन्तु संघर्ष। भारत की संकटापन्न (विलुप्त होती) एवं स्थानीय प्रजातियां। जैव–विविधता का संरक्षण–असंस्थितिक एवं संस्थितिक संरक्षण। पर्यावरण प्रदूषण– कारण, प्रभाव एवं नियंत्रण के उपाय– वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, समुद्री प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, तापीय प्रदूषण, नाभिकीय प्रदूषण। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन–नगरीय एवं औद्योगिक ठोस कूड़े–करकट का प्रबंधनः कारण, प्रभाव एवं नियंत्रण। प्रदूषण के नियंत्रण में व्यक्ति की भूमिका।

प्रश्न–पत्र 05
सामान्य अध्ययन – III
(अंकः 200, अवधिः 3:00 घंटा)

भाग–1 भारत एवं छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था :–

1. राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय, भारतीय अर्थ व्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन (सकल घरेलू उत्पाद एवं कार्यशक्ति)। निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों की भूमिका में परिवर्तन एवं नवीनतम योजनाओं के कुल योजनागत व्यय में उनके हिस्से। आर्थिक सुधार, निर्धनता एवं बेरोजगारी की समस्याएं, माप एवं उन्हें दूर करने के लिए किए गए उपाय। मौद्रिक नीति– भारतीय बैंकिंग एवं गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के स्वरुप एवं उनमें 1990 के दशक से सुधार, रिजर्व बैंक के साख का नियमन। सार्वजनिक राजस्व, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण और राजकोषीय घाटा की संरचना और अर्थ–व्यवस्था पर उनके प्रभाव।
2. छ.ग. के संदर्भ में :– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग का सामाजिक पिछड़ापन, साक्षरता एवं व्यावसायिक संरचना, आय एवं रोजगार के क्षेत्रीय वितरण में परिवर्तन, महिलाओं की सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण। बाल श्रम समस्या, ग्रामीण विकास। राज्य की वित्त एवं बजटीय नीति, कर संरचना, केन्द्रीय कर में हिस्सेदारी, राजस्व एवं पूंजी खाता में व्यय संरचना, उसी प्रकार योजना एवं गैर–योजनागत व्यय, सार्वजनिक ऋण की संरचना। आन्तरिक एवं विश्व बैंक के ऋण सहित बाह्य ऋण। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण साख के संस्थागत एवं गैर–संस्थागत स्त्रोत। सहकारिता की संरचना एवं वृद्धि तथा कुल साख में उनके हिस्से, पर्याप्तता एवं समस्याएं।

क्रमशः

भाग–2 भारत का भूगोलः–

भारत की भौतिक विशेषतायेः– स्थिति एवं विस्तार, भूगर्भिक संरचना, भौतिक विभाग, अपवाह तंत्र, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति व वनों का महत्व, भारतीय वन नीति, वन संरक्षण। मानवीय विशेषतायेः– जनसंख्या– जनगणना, जनसंख्या वृद्धि, घनत्व व वितरण, जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, प्रवास, साक्षरता, व्यवसायिक संरचना, नगरीयकरण। कृषिः–भारतीय कृषि की विशेषताएं, कृषिगत फसलें– खाद्यान्न, दालें, तिलहन व अन्य फसलें उत्पादन एवं वितरण। सिंचाई के साधन व उनका महत्व, कृषि का आधुनिकीकरण, कृषि की समस्याएं एवं नियोजन। सिंचाई बहुद्देशीय परियोजनाएं। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति। खनिज संसाधन :– खनिज भंडार, खनिज उत्पादन एवं वितरण। ऊर्जा संसाधनः– कोयला, पेट्रोलियम, तापीय विद्युत शक्ति, परमाणु शक्ति, ऊर्जा के गैर परम्परागत श्रोत। उद्योगः– भारत में उद्योगों के विकास एवं संरचना, बड़े, मध्यम, लघु एवं लघुत्तर क्षेत्र। कृषि, वन व खनिज आधारित उद्योग।

भाग–3 छत्तीसगढ़ का भूगोलः–

छत्तीसगढ़ की भौतिक विशेषताये :–स्थिति एवं विस्तार, भूगर्भिक संरचना, भौतिक विभाग, अपवाह तंत्र, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति व वन्य जीवन– वनों का महत्व, वन्य जीवन प्रबंध– राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण, राज्य की वन नीति, वन संरक्षण। मानवीय विशेषतायेः– जनसंख्या– जनसंख्या वृद्धि, घनत्व व वितरण, जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, प्रवास, लिंगानुपात व आयु वर्ग, अनुसूचित जन–जाति जनसंख्या, साक्षरता, व्यावसायिक संरचना, नगरीयकरण, परिवार कल्याण कार्यक्रम। कृषिः– कृषिगत फसलें, खाद्यान्न, दालें, तिलहन व अन्य फसलें उत्पादन एवं वितरण। सिंचाई के साधन व उनका महत्व, महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाएं, कृषि की समस्याएं एवं कृषकों के उत्थान के लिए राज्य की योजनाएं। खनिज संसाधन :– छत्तीसगढ़ में विभिन्न खनिजों के भंडार, खनिजों का उत्पादन एवं वितरण। ऊर्जा संसाधनः– कोयला, तापीय विद्युत शक्ति, ऊर्जा के गैर परम्परागत स्त्रोत। उद्योगः– छत्तीसगढ़ में उद्योगों के विकास एवं संरचना, बड़े, मध्यम, लघु एवं लघुत्तर क्षेत्र। कृषि, वन व खनिज आधारित उद्योग। परिवहन के साधन एवं पर्यटन।

<u>प्रश्न–पत्र 06</u>
सामान्य अध्ययन – IV
(अंकः 200, अवधिः 3:00 घंटा)

भाग–1 दर्शनशास्त्र :–

दर्शन का स्वरूप, धर्म एवं संस्कृति से उसका सम्बन्ध, भारतीय दर्शन एवं पाश्चात्य दर्शन में अंतर, वेद एवं उपनिषद् – ब्रह्म, आत्मा, ऋत, गीता दर्शन – स्थितप्रज्ञ, स्वधर्म, कर्मयोग, चार्वाक दर्शन – ज्ञानमीमांसा, तत्वमीमांसा, सुखवाद, जैन दर्शन – जीव का स्वरूप, अनेकान्तवाद, स्याद्वाद, पंचमहाव्रत, बौद्ध दर्शन–प्रतीत्यसमुत्पाद, अष्टांग मार्ग, अनात्मवाद, क्षणिकवाद, सांख्य दर्शन – सत्कार्यवाद, प्रकृति एवं पुरुष का स्वरूप, विकासवाद योग दर्शन – अष्टांग योग, न्याय दर्शन – प्रमा, अप्रमा, असत्कार्यवाद, वैशेषिक दर्शन – परमाणुवाद, मीमांसा दर्शन – धर्म, अपूर्व का सिद्धान्त, अद्वैत वेदान्त – ब्रह्म, माया, जगत्, मोक्ष, कौटिल्य – सप्तांग सिद्धान्त, मण्डल सिद्धान्त गुरुनानक – सामाजिक नैतिक चिन्तन, गुरु घासीदास – सतनाम पंथ की विशेषताएँ, वल्लभाचार्य – पुष्टिमार्ग, स्वामी विवेकानन्द – व्यावहारिक वेदान्त, सार्वभौम धर्म, श्री अरविन्द – समग्र योग, अतिमानस, महात्मा गाँधी – अहिंसा, सत्याग्रह, एकादश व्रत, भीमराव अम्बेडकर – सामाजिक चिन्तन, दीनदयाल उपाध्याय – एकात्म मानव दर्शन, प्लेटो – सद्गुण, अरस्तू – कारणता सिद्धान्त, सन्त एन्सेल्म – ईश्वर सिद्धि हेतु सत्तामूलक तर्क, देकार्त – संदेह पद्धति, मैं सोचता हूँ, इसलिए मैं हूँ, स्पिनोजा – द्रव्य, सर्वेश्वरवाद, लाइब्नीत्ज – चिदणुवाद, पूर्व स्थापित सामंजस्य का सिद्धान्त लॉक – ज्ञानमीमांसा, बर्कले – सत्ता अनुभवमूलक है, ह्यूम – संदेहवाद, कांट – समीक्षावाद, हेगल – बोध एवं सत्ता, द्वन्द्वात्मक प्रत्ययवाद, ब्रेडले – प्रत्ययवाद, मूर – वस्तुवाद, ए. जे. एयर – सत्यापन सिद्धान्त, जॉन डिवी – व्यवहारवाद, सार्त्र – अस्तित्ववाद, धर्म का अभिप्राय, धर्मदर्शन का स्वरूप, धार्मिक सहिष्णुता, पंथ निरपेक्षता, अशुभ की समस्या, नैतिक मूल्य एवं नैतिक दुविधा, प्रशासन में नैतिक तत्त्व, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता, लोक सेवकों हेतु आचरण संहिता, भ्रष्टाचार – अर्थ, प्रकार, कारण एवं प्रभाव, भ्रष्टाचार दूर करने के उपाय, व्हिसलब्लोअर की प्रासंगिकता।

भाग–2 समाजशास्त्रः–

अर्थ, क्षेत्र एवं प्र.ति, अध्ययन का महत्व, अन्य विज्ञानों से इसका संबंध। प्राथमिक अवधारणाएँ – समाज, समुदाय, समिति, संस्था, सामाजिक समूह, जनरीतियाँ एवं लोकाचार। व्यक्ति एवं समाज – सामाजिक अंतः क्रियाएँ, स्थिति एवं भूमिका, संस्कृति एवं व्यक्तित्व, समाजीकरण। हिन्दु सामाजिक संगठन – धर्म, आश्रम, वर्ण, पुरुषार्थ। सामाजिक स्तरीकरण – जाति एवं वर्ग। सामाजिक प्रक्रियाएँ – सामाजिक अंतः क्रिया, सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा। सामाजिक नियंत्रण एवं सामाजिक परिवर्तन – सामाजिक नियंत्रण के साधन एवं अभिकरण। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं एवं कारक। भारतीय सामाजिक समस्याएं, सामाजिक विघटन, नियमहीनता, अलगाव, विषमता। सामाजिक शोध एवं प्रविधियां – सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य, सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग, वस्तुनिष्ठता की समस्या, तथ्य संकलन की प्रविधियां एवं उपकरण–अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली, अनुसूची।

भाग–3 छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्यः–

जनजातीय समाजिक संगठन, विवाह, परिवार, गोत्र, युवा समूह, जनजातीय विकास – इतिहास, कार्यक्रम व नीतियां – संवैधानिक व्यवस्था। छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजातियां, अन्य जनजातियां, अनुसूचित जातियां एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियां, छत्तीसगढ़ के जनजातियों में प्रचलित प्रमुख आभूषण एवं विशेष परंपराएं, जनजातीय समस्याएं : पृथक्करण, प्रवासन और परसंस्कृतिकरण। छत्तीसगढ़ की लोक कला, लोकसाहित्य एवं प्रमुख लोक कलाकार, छत्तीसगढ़ी लोकगीत, लोककथा, लोक नाट्य, जनऊला, मुहावरे, हाना, लोकोक्तियॉं। छत्तीसगढ़ राज्य के साहित्य, संगीत एवं ललित कला के क्षेत्र में स्थापित संस्थाएं, उक्त क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्थापित सम्मान एवं पुरस्कार। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रमुख मेले तथा पर्व–त्यौहार, राज्य के पुरातात्विक संरक्षित स्मारक एवं स्थल तथा उत्खनित स्थल, छ.ग. शासन द्वारा चिन्हांकित पर्यटन स्थल, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और बस्तर के जलप्रपात एवं गुफाएं, छत्तीसगढ़ के प्रमुख संत।

<u>प्रश्न–पत्र 07</u>
सामान्य अध्ययन – V
(अंकः 200, अवधिः 3:00 घंटा)

भाग–1 कल्याणकारी, विकासात्मक कार्यक्रम एवं कानूनः–

1. **सामाजिक एवं महत्वपूर्ण विधान :–** भारतीय समाज, सामाजिक बदलाव के एक साधन के रूप में सामाजिक विधान, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम् 1993, भारतीय संविधान एवं आपराधिक विधि (दण्ड प्रक्रिया संहिता) के अंतर्गत महिलाओं को प्राप्त सुरक्षा (सीआरपीसी), घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम्–2005, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम् 1955, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम् 1986, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम्–2000, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम्–1988,
2. **छ.ग. के संदर्भ में :–** छ.ग. में प्रचलित विभिन्न नियम/अधिनियम् एवं उनके छ.ग. के निवासियों पर कल्याणकारी एवं विकासात्मक प्रभाव।

क्रमशः

3. **छत्तीसगढ़ शासन की कल्याणकारी योजनाएं :–** छ.ग. शासन द्वारा समय–समय पर प्रचलित कल्याणकारी, जनोपयोगी एवं महत्वपूर्ण योजनायें।

भाग–2 अंर्तराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय–खेल, घटनाएं एवं संगठनः– संयुक्त राष्ट्र एवं उसके सहयोगी संगठन, अंर्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक एवं एशियाई बैंक, सार्क, ब्रिक्स, अन्य द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय समूह, विश्व व्यापार संगठन एवं भारत पर इसके प्रभाव, राष्ट्रीय एवं अंर्तराष्ट्रीय खेल एवं प्रतियोगिताएं।

भाग–3 अंर्तराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थाएं एवं मानव विकास में उनका योगदान :–
कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता, भारत में मानव संसाधन की नियोजिता एवं उत्पादकता, रोजगार के विभिन्न चलन (ट्रेंडस), मानव संसाधन विकास में विभिन्न संस्थाओं, परिषदों, जैसे– उच्च शिक्षा और अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मुक्त विश्वविद्यालय, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, राष्ट्रीय शिक्षा शिक्षक परिषद्, राष्ट्रीय व्यवसायिक शिक्षा परिषद्, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, भारतीय प्रौद्यागिकी संस्थान, भारतीय प्रबंध संस्थान, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, पोलीटेक्निक एवं आई.टी.आई. आदि की भूमिका, मानव संसाधन विकास में शिक्षा– एक साधन, सार्वभौमिक/समान प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा की गुणवत्ता, बालिकाओं की शिक्षा से संबंधित मुद्दे, वंचित वर्ग, निःशक्त जन से संबंधित मुद्दे।

ANNEXURE - III [8]

"SYLLABUS"

State Services Main Examination

QUESTION PAPER - 01
Language
(Marks: 200, Duration: 3 hours)

भाग–1 सामान्य हिन्दीः–
भाषा–बोध, संक्षिप्त लेखन, पर्यायवाची एवं विलोम शब्द, समोच्चरित शब्दों के अर्थ भेद, वाक्याशं के लिए एक सार्थक शब्द, संधि एवं संधि– विच्छेद, सामासिक पदरचना एवं समास–विग्रह, तत्सम एवं तद्‌भव शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, उपसर्ग एवं प्रत्यय, मुहावरें एवं लोकोक्ति (अर्थ एवं प्रयोग), पत्र लेखन। हिन्दी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन एवं नामकरण, छत्तीसगढ़ के साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं। अपठित गद्यांश, शब्द युग्म, प्रारूप लेखन, विज्ञापन, प्रपत्र, परिपत्र, पृष्ठांकन, अधिसूचना, टिप्पणी लेखन, शासकीय, अर्धशासकीय पत्र, प्रतिवेदन, पत्रकारिता, अनुवाद (हिन्दी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिन्दी)

भाग–2 General English:-
Comprehension, Precis Writing, Re arrangement and Correction of Sentences, Synonyms, Antonyms, Filling the Blanks, Correction of Spellings, Vocabulary and usage, Idioms and Phrases, Tenses, Prepositions, Active Voice and Passive voice, Parts of Speech.

भाग–3 छत्तीसगढ़ी भाषाः–
छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान, छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास एवं इतिहास, छत्तीसगढ़ी भाषा का साहित्य एवं प्रमुख साहित्यकार, छत्तीसगढ़ी का व्याकरण, शब्द साधन–संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वाच्य, अव्यय (क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक) कारक, काल, लिंग, वचन, शब्द रचना की विधियॉं, उपसर्ग, प्रत्यय संधि (अ) हिन्दी में संधि, (ब) छत्तीसगढ़ी में संधि, समास, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग, छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास में समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, आकाशवाणी व सिनेमा की भूमिका, लोकव्यवहार में छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी भाषा का सामान्य परिचय–नामकरण, छत्तीसगढ़ी भाषा का परिचय, छत्तीसगढ़ी में क्रियाओं में वर्तमान, भूत तथा पूर्ण+अपूर्ण वर्तमान भविष्य काल के रूप, काल, लिखना–क्रिया के भूतकाल के रूप, पूर्ण+अपूर्ण भूतकाल, पढ़ना–क्रिया के भविष्यकाल के रूप, पूर्ण+अपूर्ण भविष्यकाल, पाद–टिप्पणी।

QUESTION PAPER - 02
Essay
(Marks: 200, Duration: 3 hours)

PART - 01: INTERNATIONAL AND NATIONAL LEVEL ISSUES
Candidates will have to write two essays on issues (Reason, present status including data and solution) from this part. Four problems will be given in this part; Candidate will have to write two essays on this part about 750-750 words. Each issue in this part will carry 50 marks.

PART - 02: CHHATTISGARH STATE LEVEL ISSUES
Candidates will have to write two essays on issues (Reason, present status including data and solution) from this part. Four problems will be given in this part; Candidate will have to write two essays on this part about 750-750 words. Each issue in this part will carry 50 marks.

क्रमशः

8 छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 6–3/2008/1(एक) दिनांक 13/02/2019 द्वारा संशोधित।

QUESTION PAPER - 03
General Studies - I
(Marks: 200, Duration: 3 hours)

PART - 01 History of India:-

Pre-historic Age, Indus Civilization, Vedic Civilization, Jainism and Buddhism, Rise of Magadh Empire, Mauryan Polity and Economy, Sunga, Satavahana period, Gupta Empire, Development of Art, Architecture, Literature & Science during the Gupta-Vakataka Period. Major dynasties of south india, Medieval Indian History, Sultanate and mughal period,, Vijaya Nagar Kingdom, Bhakti Movement, Sufism, Development of literature in regional languages, Rise of Marathas,Advent of Europeans and factors responsible for the establishment of British Supremacy, Expansion of British Empire- Wars and diplomacy, Rural Economy-Agriculture, Land Revenue Systems - Permanent Settlement, Ryotwari, Mahalwari, Decline of handicrafts industries, Relation of East India Company with States, Changes in Administrative Structure, Urban Economy after 1858, Development of Railways, Industrialization, Constitutional Development.Socio- Religious Reform Movements - Brahmo Samaj, Arya Samaj, Prarthna Samaj, Ram Krishna Mission, Rise of Nationalism, The Revolt of 1857, Establishment of Indian National Congress, Partition of Bengal and Swadeshi Movement, Rise and Development of Communalism, Revolutionary Movements, Home Rule Movement, Gandhian Movements, Quit India Movement, Workers, Peasant and Tribal Movements, reform movement among Dalits, reform movement among Muslisms, Aligarh Movement, Indian National Army, Independence and Partition of India, Merger of States,

PART - 02 Constitution & Public Administration:-

Constitutional Development of India (1773-1950), Formation of the Constitution and Salient Features, Preamble, Nature of the Constitution. Fundamental Rights and Duties. Directive Principles of State Policy. Union Executive, Legislative and Judiciary. Right to Constitutional Remedies, Public Interest Litigation, Judicial Activism, Judicial Review, Attorney General. State Executive, Legislature and Judiciary, Advocate General. Centre-State Relationship- Legislative, Executive and Financial. All India Services. Union and State Public Service Commission. Emergency Provisions, Constitutional Amendments. Concept of Basic Structure. Govt. of Chhattisgarh - Legislative, Executive and Judiciary. Public Administration- meaning, Scope, Nature and importance. Public Administration and Private Administration under Liberalizations. New Public Administration, Development Administration and Comparative Administration. New dimensions in Public Administration. State vs. Market. Rule of Law. Organisation-Principles, approaches and structure. Management-Leadership, Policy determination, Decision making. Instruments of Administrative Management- Co-ordination, Delegation, Communication, Observation and Motivation. Administrative Reforms. Good Governance, E-Governance. Bureaucracy. District Administration. Control on Administration in India - Parliamentary, Financial Judicial and Executive. Lokpal and Lok Ayukta. Right to Information. Panchayats and Municipalities. Parliamentary- Presidential, Unitary-Federal Government. Theory of Separation of Powers. Administrative Structure of Chhattisgrah.

PART - 03 History of Chhattisgarh:-

Pre-historic Age, History of Chhattisgarh from Vedic age to Gupta Period, Major dynasties- Rajarshitulya Kula, Nala, Sharabhpuriyas, Pandu, Somvanshis etc. Kalchuris and their Administration, Chhattisgarh under the Marathas, British, Chhattisgarh under British protectorate, Former states and Zamindaris of Chhattisgarh, Feudatory States, Revolt of 1857, Freedom Movement in Chhattisgarh, Workers, Peasant and Tribal Movements, Formation of Chhattisgarh State.

QUESTION PAPER - 04
General Studies - II
(Marks: 200, Duration: 3 hours)

PART - 01 General Science:-

CHEMISTRY :- Rate of chemical reaction and chemical elqulibruim - Preliminary knowledge of rate of chemical reaction. Fast and slow chemical reactions. Metals - Position of metals in the periodic table and general properties. Metal, mineral ore. Difference between mineral and ore. Metallurgy-concentration, roasting, smelting, refining of ores. Metallurgy of copper and Iron. corrosion of metals. Alloys. Nonmetals - Position of nonmetals in the periodic table and general Properties. Some important organic compounds, some general artifical polymers, polythene, polyvinyl choloride. Teflon soap and detergents. PHYSICS :- Light - nature of light, reflection of light, law of reflection, reflection from plane and curved surface, image formation by plane, convex and concave mirror, relation between focal length and radius of curvature, electric discharge in gases, causes of origin of energy in the Sun, Electricity and its effects - electric intensity, potential- potential difference, electric curent Ohm's law. Resistance, specfic resistance, influencing factors, combination of resistance and related numerical questions, thermal effect of current and it's uses, calculation of power and electrical energy spent. (numerical) precautions observed in electric experiments, Photo electric effect, Solar Cell, Structure, PN Junction, Diode, BIOLOGY :- Transport: transport of mineral and water in plants and animals [in context of human being], structure and function of blood, structure and working of heart, [preliminary knowledge], Photosynthesis- Defination, main steps of the process. light reaction and dark reaction, Respiration - Definition, breathing and respiration, Types of respiration, Aerobic and anaerobic respiration, respiratory organs of animals respiratory system of human being and mechanism of respiration, Human digestive system and digestive process [General infromation], Control and coordination - Nervous system of human being. Structure and function of human Brain and spinal cord, coordination in plants and animal Phytoharmones, endocrine glands harmone and their function. Reproduction and growth - type of reproduction Asexual reproduction, fission, budding, regeneration, artificial vegetative reproduction, layering, cutting, grafting, Porthenogenesis, sexual reproduction in plants, structure of flower and reproduction process, [general information] pollination, fertilization. Human reproductive system and reproduction process. [general information], Heredity and evolution - heredity and variation. Fundamental basis of heredity chromosome and DNA [preliminary information]

PART - 02 Aptitude Test, Logical Reasoning, Mental Ability:-

Addition, subtraction, multiplication and division of rational numbers. Finding the rational number between two rational numbers. Ratio and Proportion - definition, properties, aternendo, invertendo, componendo etc. and their uses. Commercial Mathematics - Banking, calculation of interest on/ in savings account, fixed deposit account and recurring deposit account. Calculation of income tax (for salaried person and excluding house rent allowance). Factorization, LCM, HCF. Vedic Mathematis- addition, subtraction, multiplication, division and checking the answer through bijank. Square, square roots, cube, cube roots, vinculam and its application. The application of vedic mathematics methods in algebra etc., Introduction and creativity of Indian Mathematician - in reference with Aryabhata, Varaha mihira, Brahma gupta,

क्रमशः

Bhaskaracharya, Shrinivas Ramanujan. Mathematical operations, Basic numeracy (numbers and their relations, order of magnitudes etc.). Data interpretation (charts, graphs, tables, data sufficiency etc.) and analysis of data. Arithmetic mean, Median, Mode, Probability. Question related to addition and multiplication theorem on probability. Applied mathematics - Profit and Loss, Percentage, Interest and Averages. Time, speed, distance, river and boat. Analog Test, Odd word, Odd pair of words, Coding & Decoding Test, Relation Test, Alphabet Test, Mathematical Operations, Logical analysis of words, Inserting the missing number or word, Assertion and Reason, Situation reaction test, Figure series, Deletion of elements, General Mental ability.

PART - 03 Applied & Behavioural Science:-

Role of Information Technology in Rural India, basic knowledge of computer, computers in communication and broadcasting, software development for economic growth. Broad applications of IT. Energy Resources: Demand of Energy, renewable and nonrenewable energy resources of energy, the development and utilization of nuclear energy in the country. Science & Technology developments in India in present, origin of agriculture, Progress of Agricultural Science and its impact, Crop science in India, Fertilizer, Control of pests and disease scenario in India. Bio-diversity and its conservation - General introduction - defination, species and genetic diversity, Bio-geographical classification of India, Importance of Bio-Diversity - Constructive and Distructive application, Importance of social, moral and alternative vision, Global, National and Local level Bio-diversity, India as a mega biodiversity nation, Hotspots of Biodiversity, threats to biodiversity, loss of habitat, damage to wildlife, humans and wild animals conflict, India's threatened,endangered and endamic species, Conservation of bio-diversity, Topological and Nontopological conservation. Enviromental pollution - Causes, effect and control measures- Air pollution, water pollution, marine pollution, soil pollution, sound/noise pollution, thermal pollution, nuclear pollution. Solid waste managment - Urban and Industrial solid waste management: Causes, effect and control, Human role in pollution control.

QUESTION PAPER - 05
General Studies - III
(Marks: 200, Duration: 3 hours)

PART - 01 Economics of India & Chhattisgarh:-

1. National and per capita income, Structural changes in the Indian Economy (GDP and work force), Changes in the role of Public and Private Sectors and their shares in the total plan outlay of the latest plan, Economic Reforms, problems of poverty and unemployment , magnitude and measures initiative to ameliorate them, Monetary Policy- structure of Indian Banking and non-banking financial institutions and reforms in them since 1990s. Regulation of Credit by RBI. Pattern of Public Revenue, Public Expenditure, Public Debt, fiscal deficit and their effects on the Economy. 2. In Reference with C.G. - Demographic features and social backwardness of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward classes and Minorities. Literacy and occupational structure, changes in the sectoral distribution of income and employment. Socio, Political and Economic empowerment of Women. Child Labour problem. Rural Development, State Finance and Budgetary policy- Tax structure, Sharing in Central Taxes, Expenditure pattern in Revenue and Capital Account as well as plan and non-plan expenditure. Public Debt composition- Internal and External Debt including World Bank loans, Institutional and non-institutional sources of Rural Credit in Chhattisgarh. Structure and growth of Co-operatives and their shares in total credit, adequacy and problems.

PART - 02 Geography of India:-

Physical features of India, location & extension, Geological Structure, Physical Divisions, Drainage System, Climate, soil, Vegetation and importance of forest, Indian forest policy, Forest conservation, Human Characteristics - Population, Census, Population Growth, Density and Distribution. Birth rate, Mortality rate, Infant Mortality rate, Migration, Literacy, Occupational Structure, Urbanization, Agriculture - Characteristics of Indian agriculture, Agricultural food Crops, Cereal, Pulses, Oilseeds and other crops, Production and distribution, mean of irrigation and its importance, Modernization of agriculture, problems of agriculture and planning, Irrigation multipurpose projects, Green revolution, white revolution, Blue revolution, Mineral resources- mineral storage, production and distribution of mineral, Energy resources- coal, Petroleum, thermal power energy, nuclear energy, non conventional sources of energy, Industries- development and structure of industries in India, large Scale medium, small and smallest scale, agriculture, forest and mineral based industries.

PART - 03 Geography of Chhattisgarh:-

Physical features of Chhattisgarh, location & extension, Geological Structure, Physical Divisions, Drainage System, Climate, soil, Vegetation and wild life, importance of forest, wild life management system, national parks and sanctuaries, State forest policy, Forest conservation, Human Characteristics - Population, Population Growth, Density and Distribution. Birth rate, Mortality rate, Infant Mortality rate, Migration, Sex ratio, age group, schedule caste population Literacy, Occupational Structure, Urbanization, family welfare programs, Agriculture -Agricultural food Crops, Cereal, Pulses, Oilseeds and other crops, Production and distribution, mean of irrigation and its importance, important irrigation projects, problem of agriculture and state scheme for farmers benefits, Mineral resources- various types mineral storage in Chhattisgarh, production and distribution of mineral, Energy resources- coal, Thermal power energy, non conventional sources of energy, Industries- development and structure of industries in Chhattisgarh, large Scale medium, small and smallest scale, agricultural, forest and mineral based industries, mean of transport and tousirsm,

QUESTION PAPER - 06
General Studies - IV
(Marks: 200, Duration: 3 hours)

PART - 01 Philosophy:-

Nature of Philosophy, its relationship between religion and culture, difference between Indian and Western Philosophy, Veda and Upanishada-Brahman, Atman, Rit, Philosophy of Gita - Sthitpragya, Swadharma, Karmayoga, Philosophy of Charvaka-Epistemology, Metaphysics, Hedonism, Philosophy of Jain - Nature of Jiva, Anekantvada, Syadavada, Panchamahavrata, Philosophy of Buddha - Pratityasamutpada, Ashtanga Marg, Anatmavada, Kshanikvada, Philosophy of Samkhya - Satkaryavada, nature of Prakriti and Purusha, Vikasavada, Philosophy of Yoga - Ashtanga Yoga, Philosophy of Nyaya - Prama, Aprama, Asatkaryavada, Philosophy of Vaisheshika - Parmanuvada, Philosophy of Mimamsa - Dharma, Theory of Apurva, Philosophy of Advaita Vedanta- Brahman, Maya, Jagat, Moksha, Kautilya - Theory of Saptanga, theory of Mandal, Gurunanak - Social-ethical philosophy, Guru Ghasidas - Characteristics of Satnam Pantha, Vallabhacharya - Pushtimarga, Swami Vivekananda - Practical Vedanta, Universal Religion, Sri Aurbindo - intergral yoga, supermind

क्रमशः

Mahatma Gandhi- Ahinsa, Satyagraha, elevan vows, Bhimrao Ambedkar - Social Thought, Deendayal Upadhyay - Ekatma manav darshan, Plato - Virtus, Aristotle - Theory of Causation, Saint Anselm - Ontological argument for the existance of God, Descartes - method of doubt, I think therefore I am, Spinoza - Substance, Pantheism, Leibnitz - theory of Monad, Theory of Pre - stablished harmony, Locke - epistemology, Berkeley - esse est percipii, Hume - Scepticism, Kant - Criticism, Hegel - Phenomenology and spirit, dialectical Idealism, Bradley - Idealism. Moore - Realism, A.J. Ayar - Verification theory, John dewey - Pragmatism, Sartre - Existentialism, Meaning of Religion, Nature of Philosophy of Religion, Religious tolerance, secularism, problem of evil, Ethical Values and ethical Dilemma, ethical elements in Administration- Honesty, Responsibility, Transparency, Code of conduct for Public Servants, Corruption - Meaning, Types, Cause and Effect, Efforts to remove corruption. Relevence of whistle-blower.

PART - 02 Sociology:-

Sociology- Meaning, Scope and nature, Importance of its study. Relation with other Social Sciences. Primary Concepts - Society, Community, Association, Institution, Social group, Folkways and Mores. Individual and Society - Social interactions, Status and role, Culture and Personality, Sociolization. Hindu Social Organization - Religion, Asharm, Varna, Purusharth. Social Stratification - Caste and Class. Social Processes - Social Interaction, Co-operation, Struggle, Competition. Social Control and Social Change - Sources and agencies of Social Control, Processes and factors of Social Change. Indian Social Problems, Social disorganization-Anomie and Alienation, Inequality. Social Research and Techniques - Objective of Social Research, Use of scientific method to study of Social Phenomena, Problems of objectivity. Tools and techniques of data collection- Observation, Interview, Questionnaire, Schedule.

PART - 03 Social Aspect of Chhattisgarh:-

Tribal social organization: Marriage, Family, Clan, youth dormitories. Tribal Development : History, Programmes and Policies, The Constitutional System, Special Primitive Tribes of Chhattisgarh, Other Tribes, Schedule Cast and Other Backword Class of Chhattisgarh. Main Ornaments popular in tribes of Chhattisgarh, Special traditions. Tribal Problems : Isolation Migration and acculturation. Folk arts of Chhattisgarh, Folk literature and Prominent Folk Artists of Chhattisgarh, Folk songs of Chhattisgarh, Folk legend, Folk theater, Idioms and Proverbs, Puzzle/riddle (जनऊला), Singing (हाना), Literary, Music and Art Institutions of Chhattisgarh State; Chhattisgarh State awards in these fields. Folk culture of Chhattisgarh, Major Fairs and Festivals of Chhattisgarh. Protected Archaeological monuments, sites and excavated sites in State. Tourism places marked by Chhattisgarh Govt., National Parks, Sanctuaries and Waterfalls and caves of Bastar, Major sants of Chhattisgarh.

QUESTION PAPER - 07
General Studies - V
(Marks: 200, Duration: 3 hours)

PART - 01 Welfare, Development Programme & Laws:-

1. **Social and Important Legislation -** Indian Society, Social legislation as a form of a mean of social transform. Human Rights Proctection Legislation 1993, Protection granted to Females (CRPC) under Indian Constitution & Criminal Law (Penal Code). Protection Act 2005 to Females from Domestic Violation, Civil Rights Protection Act 1955, Scheduled Castes and Scheduled Tribes Attrocity Protection Law 1989, Right to Information Act 2005, Environment Protection Act 1986, Consumer Protection Act 1986, Information Technology Act 2000, Curruption Prevention Act 1988.
2. **In Reference to Chhattigarh:** Customary Various Laws and Acts in Chhattisgarh and their welfare and developmental impact on residents of Chhattisgarh.
3. **Welfare Schemes of Chhattisgarh Government:** Customary welfare, People-oriented and Important Schemes introduced in various times by Chhattisgarh Government.

PART- 02 International & National Sports, Events & Organisation:-

United Nations and its Associated Organizations. International Monetary Fund, World Bank and Asian Bank, SAARC, BRICS, Other Bilateral and Regional Groups, World Trade Organization and its impact on India. National and International Sports and Competetion.

Part- 03 International & National Educational Institute & their Role of Human Development :-

Availability of Skilled Human Resources, Employability and Productivity of Human Resources. Various Trends of Employment. Role of Various Institutions and Councils in Human Resources Development as- Higher Education and National Commission for Research, National Educational Research and Training Council, National Educational Schemes and Administration University, University Grants Commission, Open University, All India Technical Education Council, National Education Teacher Council, National Vocational Education Council, Indian Agriculture Research Council, Indian Institute of Technology, Indian Institute of Management, National Institute of Technology, National Law University, Polytechnique and I.T.I., Education in Human Resource Development, a mean Universal/Equal Elementary Education, Higher Education and Technical Education, Quality of Vocational Education, Issues related to Girls' Education, Deprived Class, Issues related to Disabled People.

8 Amendment, As per Government of Chhattisgarh, General Administration Department vide Notification No. F 6-3/2008/1/One, Dated 13/02/2019.

परिशिष्ट–चार

"ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं जानकारी"

ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में आवश्यक निर्देश निम्नानुसार हैं:–

(कृपया आवेदन भरने से पहले विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तो को अच्छी तरह पढ़ लें)

ऑनलाइन आवेदन हेतु सक्रिय लिंक वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर निर्धारित तिथियों में उपलब्ध रहेंगे।

(1). ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में अभ्यर्थी को सर्वप्रथम एक Candidate's Registration पेज प्राप्त होगा। उक्त पेज में नाम, पिता का नाम, माता का नाम, मूल निवास, वर्ग, लिंग, जन्मतिथि, मोबाइल नम्बर तथा ई–मेल आई.डी. इत्यादि की प्रविष्टि करने पर, यदि अभ्यर्थी आयु सीमा की शर्तों को पूर्ण करता हो, तो उसे प्रविष्ट किए गए मोबाइल नम्बर व ई–मेल आई.डी. पर ऑनलाइन आवेदन हेतु रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड प्राप्त होगा। अभ्यर्थी संबंधित चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक अपना रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड सुरक्षित रखें। चयन के प्रत्येक स्तर पर रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड के प्रयोग से ही जानकारी प्राप्त करने अथवा प्रदान करने का कार्य किया जा सकेगा। अभ्यर्थी संबंधित चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक अपना मोबाईल नम्बर व ई–मेल आई.डी. न बदलें तथा उसे एक्टिव रखें। मोबाईल व/अथवा सिम खो जाने या खराब हो जाने की स्थिति में तत्काल मोबाईल सेवा प्रदाता कंपनी से संपर्क कर Candidate's Registration हेतु प्रयुक्त किए गए मोबाईल नम्बर को चालू करवाएं। आयोग द्वारा अन्य आवश्यक सूचनाएं उक्त मोबाईल नंबर व ई–मेल आई.डी. पर दी जा सकती है।

(2). अभ्यर्थी अपने रजिस्टर्ड मोबाईल व ई–मेल आई.डी. पर प्राप्त रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड का प्रयोग कर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन के दौरान अभ्यर्थी को समस्त आवश्यक जानकारियां दर्ज कर अपना फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करना होगा। Submit बटन के माध्यम से पूरी तरह भरे गए ऑनलाइन आवेदन को जमा करने पर अभ्यर्थी को शुल्क व/अथवा पोर्टल शुल्क भुगतान की प्रक्रिया हेतु पेज प्राप्त होगा, जिस पर उपलब्ध भुगतान विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन कर भुगतान किया जा सकेगा। सफलतापूर्वक भुगतान कर लेने पर अभ्यर्थी को अपने आवेदन की रसीद प्राप्त होगी। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लेवें कि निर्धारित भुगतान सफलतापूर्वक हो गया है। ऐसा नहीं होने पर अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक, प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए ऑनलाईन आवेदन की पावती एवं भुगतान की रसीद का प्रिंट अपने पास रखना तथा आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(3). ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से लेकर अंतिम चयन की प्रक्रिया तक सभी आवश्यक सूचनाएं आयोग की वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध कराई जाएंगी। अभ्यर्थी नियमित रुप से उक्त वेबसाईट का अवलोकन करते रहे। किसी भी अभ्यर्थी को कोई भी सूचना व्यक्तिगत रुप से पत्र/SMS देने हेतु आयोग बाध्य नहीं होगा तथा इस आधार पर कोई भी अभ्यर्थी आपत्ति प्रस्तुत नहीं कर सकेगा।

(4). आवेदक स्वयं अपने घर से या इंटरनेट कैफे के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान, निर्धारित भुगतान विकल्प चुनकर, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं।

(5). **ऑनलाइन आवेदन के लिए अपलोड किए जाने हेतु, अभ्यर्थी के फोटोग्राफ संबंधी निर्देशः–** आवेदक ऑनलाइन आवेदन हेतु **विज्ञापन जारी होने की तिथि** या उसके बाद की तिथि में खिचवाया हुआ पासपोर्ट साइज का फोटो अपने पास रखें। फोटो का बैकग्राउन्ड सफेद/हल्के रंग का होना चाहिए तथा फोटो में अभ्यर्थी की दोनों आंखें स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। फोटो के निचले हिस्से पर अभ्यर्थी का नाम तथा फोटो खिचवाने की तिथि प्रिंट की हुई होनी चाहिए। अभ्यर्थी उक्त निर्देशानुसार खिचवाए गए फोटो को स्केन कर .JPG फाइल (अधिकतम साइज 100KB) तैयार कर/करवा लें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि स्केन करते समय केवल फोटो को ही स्केन किया जाए, बैकग्राउंड (कागज जिस पर फोटो चिपकाया गया हो/Reflective Document Mat) को नहीं। अभ्यर्थी उक्त फोटो की 3 प्रतियां (Hard Copies) अपने पास अवश्य रखें। भविष्य में आयोग द्वारा निर्देशित किए जाने पर अभ्यर्थी को उक्त फोटो प्रस्तुत/प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

(6). **ऑनलाइन आवेदन के लिए अपलोड किए जाने हेतु, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर संबंधी निर्देशः–** ऑनलाइन आवेदन के दौरान अभ्यर्थी को अपना हस्ताक्षर पृथक अपलोड करना होगा, इस हेतु अभ्यर्थी एक सफेद कागज पर काले बॉल प्वाइंट पेन से हस्ताक्षर करें। अभ्यर्थी उक्त निर्देशानुसार हस्ताक्षरित कागज को स्केन कर .JPG फाइल (अधिकतम साइज 100KB) तैयार कर/करवा लें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि स्केन करते समय केवल हस्ताक्षर को ही स्केन किया जाए, बैकग्राउंड को नहीं।

(7). ऑनलाइन आवेदन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि जानकारी जो ऑनलाइन आवेदन में चाही गई है की सही–सही प्रविष्टि की जाए।

(8). **आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, आवेदक द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन आवेदन में अंकित की जा रही है वह प्रमाणित जानकारी है। अतः ऑनलाइन आवेदन Submit करने के पूर्व आवेदक अपने आवेदन की समस्त प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझ लें। आवेदक अपने द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होने के पश्चात् ही ऑनलाइन आवेदन को Submit बटन क्लिक कर जमा करें तथा आवेदन शुल्क व/अथवा पोर्टल शुल्क जमा करें।**

(9). ऑनलाइन आवेदन Submit करने के तथा शुल्क व/अथवा पोर्टल जमा करने के बाद अभ्यर्थी को अपने ऑनलाईन आवेदन तथा भुगतान की रसीद प्राप्त होगी। जिन्हें प्रिंट कर अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखें। चयन प्रक्रिया के आगे के चरणों में मांगें जाने पर उक्त को आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। सामान्यतः प्रवेश पत्र जारी होने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन की प्रति तथा भुगतान की रसीद उपलब्ध नहीं रहती है। अतः आयोग द्वारा ऑनलाईन आवेदन की प्रति तथा/अथवा भुगतान की रसीद उपलब्ध कराने हेतु दिए गए अभ्यावेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि उसके द्वारा निर्धारित भुगतान सफलता पूर्वक कर दिया गया है।

(10). ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार व सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य निर्धारित तिथि में ऑनलाइन किया जा सकेगा। त्रुटि सुधार व सशुल्क त्रुटि सुधार केवल एक बार ही किया जा सकेगा। **सशुल्क त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टि में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में आयोग किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं करेगा।**

(11). **आवेदक यह ध्यान रखें कि विज्ञापित पद के आवेदन पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार चयन के किसी भी स्तर पर नहीं किया जा सकेगा। अतः अभ्यर्थी अपना आवेदन अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। यदि फिर भी कोई त्रुटि होती है तो त्रुटि सुधार व/या सशुल्क त्रुटि सुधार की अवधि में वांछित सुधार कर लें।**

(12). **ऑनलाईन आवेदन/त्रुटि सुधार हेतु पोर्टल शुल्क :–**

(i) प्रत्येक ऑनलाइन आवेदक के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क (यदि लागू हो) के अतिरिक्त पोर्टल शुल्क + जीएसटी शुल्क देय होगा।

(ii) ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आवेदक द्वारा त्रुटि सुधार तथा सशुल्क त्रुटि सुधार निर्धारित तिथियों में

क्रमशः

केवल एक बार किया जा सकता है।

(iii) मूल निवास सुधार के मामलों में यदि किसी आवेदक द्वारा छत्तीसगढ़ के मूल निवासी कॉलम में पूर्व में दिए गए "हां" के विकल्प को "नहीं" किया जाता है तो उसे निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा परंतु यदि छत्तीसगढ़ मूल निवासी कॉलम में पूर्व में दिए गए "नहीं" के विकल्प को "हां" किया जाता है तो उसे पूर्व में जमा किए गए आवेदन शुल्क की राशि वापस नहीं की जाएगी।

(iv) परीक्षा शुल्क तथा पोर्टल चार्ज किसी भी परिस्थिति में वापसी योग्य नहीं है।

नोटः–

(i) आवेदक ऑनलाईन आवेदन की प्रति तथा शुल्क भुगतान की रसीद में दी गई जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और अपने पास संभालकर रखें तथा यह सुनिश्चित कर लें कि शुल्क व/अथवा पोर्टल शुल्क का भुगतान सफलतापूर्वक हो गया है।

(ii) जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता तथा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

(iii) किसी भी साइबर कैफे अथवा अन्य संस्थान के माध्यम से आवेदन करते समय आवेदक ऑनलाइन आवेदन की प्रकिया अपनी निगरानी में ही करवाएं। ऑनलाइन आवेदन में हुई किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आवेदक साइबर कैफे अथवा अन्य संस्थान अथवा आयोग को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकेंगे।

(iv) कार्ड/नेटबैंकिंग/कैश डिपॉजिट या अन्य किसी माध्यम से किसी भी शुल्क के भुगतान (यदि कोई हो) की प्रक्रिया में यदि संबंधित बैंक द्वारा किसी प्रकार का सेवा शुल्क लिया जाता है तो उसके भुगतान का दायित्व आवेदक का होगा। आवेदक ऑनलाइन बैंकिंग के दौरान फिशिंग/हैकिंग अथवा अन्य साइबर गतिविधि से बचने के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(v) ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे जिन्हें ऑनलाइन भरने के बाद प्रिंट लेकर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा जाएगा। परीक्षा शुल्क के लिए किसी भी प्रकार का ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं होगा। ऐसा करने पर आवेदनों को मान्य न करते हुए निरस्त कर दिया जाएगा, और उसकी जिम्मेदारी आवेदक की ही मानी जाएगी।

प्रवेश पत्र व साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्रः–

(1) प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र परीक्षा/साक्षात्कार के लगभग 10 दिन पूर्व अपलोड किए जाएंगे एवं इसकी सूचना पृथक से नहीं दी जाएगी।

(2) प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र व्यक्तिगत रुप से नहीं भेजे जाएंगे अपितु केवल आयोग की वेबसाइट **www.psc.cg.gov.in** पर उपलब्ध होंगे। इस संबंध में किया गया कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा।

(3) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा/साक्षात्कार में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र न हो।

(4) अभ्यर्थी को परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश पत्र के साथ **ID Proof** हेतु *मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/पैन कार्ड/आधार कार्ड/स्मार्ट कार्ड (राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की योजना के तहत आरजीआई द्वारा जारी)/स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड फोटो सहित (श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी)/जॉब कार्ड फोटो सहित (एनआरईजीए योजना के तहत)/सेवा पहचान पत्र फोटो सहित (राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी)/पासबुक एवं किसान पासबुक फोटो सहित (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/डाकघर द्वारा जारी)/छात्र पहचान पत्र (स्कूलों/कालेजों द्वारा जारी)/बीपीएल परिवार को जारी राशन कार्ड/संपत्ति के दस्तावेज फोटो सहित जैसे–पट्टा, पंजीकृत डिड्स/एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. प्रमाण पत्र फोटो सहित (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी)/फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन किताब, भूतपूर्व सैनिकों की विधवा या आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश, विधवा पेंशन आदेश/शारीरिक विकलांग प्रमाण पत्र फोटो सहित* में से एक दस्तावेज लाना आवश्यक होगा, इसके अभाव में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(5) यदि प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र पर मुद्रित फोटो व हस्ताक्षर अथवा दोनों अस्पष्ट या अवैध हो तो प्रवेश पत्र पर निर्देशानुसार कार्यवाही न करने पर केन्द्राध्यक्ष/जांच अधिकारी अभ्यर्थी को परीक्षा/साक्षात्कार में सम्मिलित होने से वंचित कर सकेंगे।

□□□□□